इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है (हदीस)

رمضان

रमज़ानुल मुबारक

फ़ज़ाइल और मसाइल

الاحياء

Revival Of Islamic Education

Presented By-

AL-IHYA

(Revival of Islamic Education)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

अल्लाह तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम फ़रमाने वाला है। सभी तारीफ़ें सारे जहानों के पालने वाले के लिए ही हैं और दुरूद व सलाम हो उसके रसूल और हमारे आक़ा व मौला हज़रत मुहम्मद ﷺ पर और आपकी आल व असहाब पर।

लाख-लाख शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमें यह तौफ़ीक़ बख़्शी कि दीन-ए-इस्लाम की कुछ बुनियादी बातें और मसाइल आप तक पहुँचाएं। लिहाज़ा हमने इल्म-ए-दीन की एक हिन्दी वेबसाइट www.IslamiJankari.com के नाम से शुरू की है। साथ ही हम यह ज़रूरी इल्म-ए-दीन छोटी-छोटी किताबों की शक्ल में भी आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी सिलसिले में यह किताब "**रमज़ानुल मुबारक फ़ज़ाइल और मसाइल**" पेश है। इस किताब को **मुफ़्ती शहज़ाद हुसैन साहब** (दारुल इफ़्ता हिज़्बुल अहनाफ़) ने बहुत ही ध्यान से पढ़कर मसाइल में ज़रूरी इस्लाह फ़रमा दी है। हम उनकी इस नवाज़िश के लिये तहे दिल से शुक्र गुज़ार हैं।

इस्लामी भाइयों बहनों से गुज़ारिश है कि इसे पढ़ें और अपने घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी पढ़वाकर दुनिया व आख़िरत की भलाई हासिल करें। आपसे हमारी यह गुज़ारिश है कि इसमें अगर कोई ग़लती दिखाई दे तो हमें ज़रूर इत्तला करें ताकि अगले edition में सही की जा सके।

जो हज़रात सवाब और तबलीग़-ए-दीन की नीयत से इसे तक़सीम करना चाहते हैं वह हमसे यह किताबें मुनासिब क़ीमत देकर हासिल कर सकते हैं और इल्म-ए-दीन को घर-घर पहुँचाने के अल-इहया के मिशन में शामिल होकर तोशा-ए-आख़िरत के हक़दार बन सकते हैं।

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमें ज़रूरी इल्म-ए-दीन हासिल करके उसके अहकाम और हज़रत मुहम्मद ﷺ और आपकी आल व असहाब की सुन्नतों के मुताबिक़ अपनी ज़िन्दगी सँवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये, आमीन!

- **शोबा-ए-इशाअत अल-इहया**

Index

रोज़ा

दीन-ए-इस्लाम के पाँच सुतूनों (Pillars) में से रोज़ा एक सुतून है। रोज़े का मतलब है ख़्वाहिशात से अपने आप को रोकना। रोज़े की बहुत बड़ी शान यह है कि अल्लाह तआला ने इसे अपनी तरफ़ निसबत करते हुए फ़रमाया कि-

"रोज़ा मेरे लिये है और मैं ही इसकी जज़ा यानि बदला दूँगा"

रोज़े के तीन दर्जे हैं-

1. **एक आम लोगों का रोज़ा**- पेट और शर्मगाह को खाने पीने जिमा (हमबिस्तरी) से रोकना। यह रोज़े का सबसे निचला दर्जा है।
2. **दूसरा ख़ास लोगों का रोज़ा**- पेट और शर्मगाह को रोकने के साथ-साथ कान, आँख, ज़ुबान, हाथ, पाँव और जिस्म के सारे आज़ा (organs) को गुनाह से बचाना। यह रोज़े का दरमियानी दर्जा है।
3. **तीसरा ख़ासुलख़ास का रोज़ा**- अल्लाह तआला के अलावा सब चीज़ों से अपने आपको पूरी तरह अलग करके सिर्फ़ उसी की तरफ़ ध्यान लगाना। यह रोज़े का सबसे ऊँचा दर्जा है।

हर मुसलमान को चाहिये कि रोज़ा रखने में कम से कम दरमियानी दर्जा हासिल करे।

हर बालिग़ और समझदार मुसलमान पर रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ किये गए है। लिहाज़ा हमें चाहिये कि रोज़े के बारे में ज़रूरी जानकारी हासिल करें और इसके मसाइल को जानें ताकि इस फ़र्ज़ इबादत को सही तरह अदा कर सकें।

****

रोज़े का हुक्म और उसकी फ़ज़ीलत

अल्लाह तआला क़ुरआन पाक में रोज़े का हुक्म फ़रमाता है:-

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

(ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा
उन पर फ़र्ज़ हुआ था जो तुम से पहले हुए ताकि तुम गुनाहों से बचो)

(सूरह अलबक़रा, आयत-183)

रोज़े की फ़ज़ीलत

क़ुरआन और अहादीस मे रमज़ान की बहुत सी फ़जीलतें बयान की गई हैं, यहाँ तक कि अगर लोगों को रमज़ान की हक़ीक़त मालूम हो जाये तो तमन्ना करें कि सारा साल रमज़ान ही रहे। यहाँ आपकी जानकारी के लिये रमज़ान की फ़ज़ीलत के बारे में चन्द अहादीस पेश की जा रही हैं।

हुज़ूर अक़दस ﷺ ने फ़रमाया:-

- *रमज़ान आया यह बरकत का महीना है अल्लाह तआला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किये इस में आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और दोज़ख़ के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और सरकश शैतानों के तौक़ डाल दिये जाते हैं और इसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बेहतर है जो उसकी भलाई से महरूम रहा बेशक महरूम है।* (इमाम अहमद व निसाई की रिवायत उन्हीं से)
- *रमज़ान की आख़िर शब में उम्मत की मग़फ़िरत होती है। अर्ज़ की गई क्या वह शबे क़द्र है। फ़रमाया नहीं लेकिन काम करने वाले को उस वक़्त मज़दूरी पूरी दी जाती है जब वह काम पूरा कर ले।* (इमाम अहमद अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत)
- *जन्नत में आठ दरवाज़े हैं उनमें एक दरवाज़े का नाम ''रय्यान'' है उस दरवाज़े से रोज़ेदार दाख़िल होंगे।* (सहीहैन, सुनन-ए-तिर्मिज़ी व निसाई)
- *हर चीज़ के लिये ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है।* (इब्ने माजा, अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत)

रसूलुल्लाह ﷺ ने शाबान के आख़िर दिन में वाज़ फ़रमाया-

- *ऐ लोगो! तुम्हारे पास अज़मत वाला बरकत वाला महीना आया वह महीना जिसमें एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है।*
- *उसके रोज़े अल्लाह तआला ने फ़र्ज़ किये और उसकी रात में क़ियाम (इबादत) सुन्नत।*
- *जो इसमें नेकी का कोई काम करे तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फ़र्ज़ अदा किया और इसमें जिसने फ़र्ज़ अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में सत्तर फ़र्ज़ अदा किए।*
- *यह महीना सब्र का है और सब्र का सवाब जन्नत है और यह महीना हमदर्दी और भलाई का है।*
- *इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ाया जाता है।*
- ***जो इसमें रोज़ादार को इफ़्तार कराये उसके गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जायेगी और इस इफ़्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वालों को मिलेगा बग़ैर इसके कि उसके अज्र में से कुछ कम हो।***
- *अल्लाह तआला यह (*रोज़ा इफ़्तार कराने का*) सवाब उस शख़्स को देगा जो एक घूँट दूध या एक ख़ुरमा (*खजूर या छुआरा*) या एक घूँट पानी से इफ़्तार कराए या जिसने रोज़ादार को भरपेट खाना खिलाया उसको अल्लाह तआला मेरी हौज़ से पिलायेगा कि कभी प्यासा न होगा यहाँ तक कि जन्नत में दाख़िल हो जाए।*
- *यह वह महीना है कि इसका अव्वल (*शुरू के दस दिन*) रहमत है और इसका औसत (*दरमियान के दस दिन*) मग़फ़िरत है और इसका आख़िर जहन्नम से आज़ादी है।*
- *जो अपने ग़ुलाम पर इस महीने में तख़फ़ीफ़ करे यानि काम में कमी करे अल्लाह तआला उसे बख़्श देगा और उसे जहन्नम से आज़ाद फ़रमायेगा।*

(बेहक़ी शोअबुल इमान में सलमान फ़ारसी رضي الله عنه से रिवायत)

रसूलुल्लाह ﷺ ने रोज़े की फ़ज़ीलत बयान करते हुए फ़रमाया

- *आदमी के हर नेक काम का बदला दस से सात सौ गुना तक दिया जाता है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया मगर रोज़ा, "कि वह मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं दूंगा, बन्दा अपनी ख़्वाहिश और खाने को मेरी वजह से तर्क करता" (यानि छोड़ता) है।*
- *रोज़ादार के लिए दो ख़ुशियाँ हैं एक इफ़्तार के वक़्त और एक अपने रब से मिलने के वक़्त।*
- *रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा है।*
- *रोज़ा सिपर (ढाल) है।*
- *जब किसी के रोज़े का दिन हो तो न बेहूदा बके और न चीख़े फिर अगर उससे कोई गाली-गलौच करे या लड़ने पर आमादा हो तो कह दे मैं रोज़ादार हूँ।*

(सहीहैन में अबू हुरैरा رضي الله عنه से मरवी)

तीन लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती-

1. *रोज़ादार जिस वक़्त इफ़्तार करता है।*
2. *बादशाहे आदिल (यानि इंसाफ़ करने वाले बादशाह) की।*
3. *मज़लूम की दुआ इसको अल्लाह तआला अब्र से ऊपर बलन्द करता है और इसके लिए आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं और रब तआला फ़रमाता है अपनी इज़्ज़त व जलाल की क़सम ज़रूर तेरी मदद करूँगा अगर्चे थोड़े ज़माने बाद।*

(इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हिब्बान, अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत)

हुज़ूर अक़दस ﷺ ने फ़रमाया मेरी उम्मत को माहे रमज़ान में पाँच चीजें दी गईं कि जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिलीं-

1. *अव्वल यह कि जब रमज़ान की पहली रात होती है अल्लाह तआला उनकी तरफ़ नज़र-ए- रहमत फ़रमाता है और जिसकी तरफ़ नज़र-ए- रहमत फ़रमायेगा उसे कभी अज़ाब न करेगा।*
2. *दूसरी यह कि शाम के वक़्त उनके मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा अच्छी है।*

3. *तीसरी यह कि हर दिन और रात में फ़रिश्ते उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं।*
4. *चौथी यह कि अल्लाह तआला जन्नत को हुक्म फ़रमाता है कहता है तैयार हो जा और मेरे बन्दों के लिए सज जा क़रीब है कि दुनिया की सख़्ती से यहाँ आकर आराम करें।*
5. *पाँचवी यह कि जब आख़िर रात होती है तो उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा देता है। किसी ने अर्ज़ की क्या वह शबे क़द्र है। फ़रमाया नहीं क्या तू नहीं देखता कि काम करने वाले काम करते हैं जब काम से फ़ारिग़ होते हैं उस वक़्त मज़दूरी पाते हैं।*

(बेहक़ी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ﷺ से रिवायत)

हुज़ूर अक़दस ﷺ ने फ़रमाया अगर बन्दों को मालूम होता कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही हो।

(इब्ने ख़ुज़ैमा ने अबू मसूद ग़िफ़ारी ﷺ से एक तवील हदीस रिवायत)

****

रोज़े के बारे में ज़रूरी जानकारी

रोज़ा क्या है?

शरीयत के मुताबिक़ **रोज़े का मतलब** यह है कि मुसलमान इबादत की नीयत से सुबह सादिक़ यानि फ़ज्र का वक़्त शुरू होने से लेकर सूरज डूबने यानि मग़रिब का वक़्त शुरू होने तक जानबूझ कर खाने पीने और हमबिस्तरी से बचा रहे। औरत के लिये यह शर्त भी है कि वह हैज़ (माहवारी) और निफ़ास (बच्चे पैदा होने के बाद आने वाला ख़ून) से पाक हो।

रोज़े की क़िस्में

- **फ़र्ज़**ः– मुसलमानों पर रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं।

- **वाजिब**ः– रमज़ान के रोज़े जो छूट जायें चाहे किसी मजबूरी की वजह से हों या जानबूझ कर उनको रमज़ान के बाद रखना वाजिब है। मजबूरी में और जानबूझ कर छोड़े गये रोज़ों की क़ज़ा के लिये अलग-अलग अहकाम और शर्तें हैं जो इंशाल्लाह आगे बयान होंगे।

- **नफ़्ल**ः– रमज़ान के क़जा रोज़ों के अलावा जो रोज़े रखे जाते हैं वह नफ़्ल रोज़े कहलाते हैं जैसे दस मुहर्रम, पंद्रह शाबान के और उनके साथ मिलाये गये रोज़े, ईद के बाद शव्वाल के महीने में शशईद के रोज़े (यानि ईद के छः रोज़े) और इसके अलावा पीर व जुमेरात वग़ैरा के रोज़े नफ़्ल रोज़े हैं।

- **मकरूह**:- कुछ ख़ास दिनों में और ख़ास तरह के रोज़े रखना मकरूह हैं जैसे सिर्फ़ हफ़्ते के दिन रोज़ा रखना, नैरोज़, मेहरगान (पारसियों के त्योहार) के दिन का रोज़ा, हमेशा रोज़ा रखना, कुछ बात न करने का रोज़ा या ऐसा रोज़ा रखना जिसमे इफ़्तार न करे और दूसरे दिन फिर रोज़ा रखे यह सब मकरूहे तनज़ीही हैं यानि इन दिनों में रोज़ा रखना मना है। ईद और अय्यामे तशरीक़ (बक़रीद और उसके बाद के तीन दिन) के रोज़े मकरूहे तहरीमी हैं यानि हराम हैं।

रोज़े की नीयत

रोज़े की नीयत (रोज़ा रखने से पहले) सूरज डूबने यानि मग़रिब का वक़्त शुरू होने से (रोज़ा रखने के बाद) ज़वाल का वक़्त शुरू होने से पहले तक कर सकते हैं। इस वक़्त में जब भी नीयत कर लें रोज़ा हो जायेगा।

- नीयत दिल के इरादे का नाम है ज़ुबान से कहना शर्त नहीं मगर ज़ुबान से कह लेना मुस्तहब है।

अगर रात में नीयत करे तो यह कहें -

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا لِلّٰه تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ هٰذَا

(मैंने नीयत की कि अल्लाह तआला के लिए इस रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा कल रखूंगा।)

दिन में नीयत करे तो यह कहे -

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ هٰذَا الْيَوْمَ لِلّٰه تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ

(मैंने नीयत की कि अल्लाह के लिए आज रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा रखूंगा।)

ज़रूरी मसाइल-

- कोई औरत हैज़ या निफ़ास वाली थी उसने रात में कल रोज़ा रखने की नीयत की और सुबह सादिक़ से पहले हैज़ व निफ़ास से पाक हो गई तो रोज़ा सही हो गया।
- दिन में नीयत करने का फ़ायदा जब ही है कि उसने सुबह सादिक़ से नीयत करते वक़्त तक रोज़े के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया हो। लिहाज़ा अगर सुबह सादिक़ के बाद कुछ खा पी लिया हो या जिमा (हमबिस्तरी) कर लिया तो अब नीयत नहीं हो सकती। मगर भूलने की हालत में ज़्यादातर ओलमा यही मानते हैं कि नीयत सही है।
- रोज़े में सिर्फ़ रोज़ा तोड़ने की नीयत से रोज़ा नहीं टूटेगा जब तक रोज़ा तोड़ने वाला काम न करे।

- सहरी खाना भी नीयत है चाहे रमज़ान के रोज़े के लिए हो या किसी और रोज़े के लिए मगर जब सहरी खाते वक़्त यह इरादा है कि सुबह को रोज़ा न होगा तो सहरी खाना नीयत नहीं।
- रमज़ान के हर रोज़े के लिए नई नीयत की ज़रूरत है पहली या किसी तारीख़ में पूरे रमज़ान के रोज़े की नीयत कर ली तो यह नीयत सिर्फ उसी एक दिन के लिये हुई जिस दिन की गई, बाक़ी दिनों के लिए नहीं।
- क़जा और वाजिब रोज़ो की नीयत सहरी का वक़्त ख़त्म होने से पहले करना ज़रूरी है। यह भी ज़रूरी है कि जो रोज़ा रखना है ख़ास उस रोज़े की नीयत करे । इन रोज़ों की नीयत अगर दिन में की तो नफ़्ल हुए फिर भी उनका पूरा करना ज़रूरी है तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी।
- यह ख़्याल करके कि किसी रोज़े की क़ज़ा उसके ज़िम्मे है रोज़ा रखा बाद में मालूम हुआ कि ख़्याल ग़लत था तो अगर फ़ौरन तोड़ दे तो तोड़ सकता है हालांकि बेहतर यह है कि पूरा कर ले और अगर फ़ौरन न तोड़ा तो थोड़ी देर बाद नहीं तोड़ सकता, तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब है।
- रात में क़ज़ा रोज़े की नीयत की लेकिन सुबह को उसे नफ़्ल करना चाहे तो नहीं कर सकता।
- नमाज़ पढ़ते में रोज़े की नीयत (सिर्फ़ दिल में) की तो यह नीयत सही है।
- **रमज़ान का रोज़ा जानबूझ कर तोड़ने पर उस रोज़े की क़ज़ा है और साठ (60) रोज़े कफ़्फ़ारे के यानि कुल इक्सठ(61) रोज़े लगातार रखने होंगे।**
- किसी ने इक्सठ(61) रोज़े रख लिए लेकिन क़ज़ा रोज़े का दिन तय नहीं किया तब भी हो गया।

****

रमज़ान का चाँद

रमज़ान का चाँद देखने की अहमियत

मुसलमान होने के नाते हमारी यह ज़िम्मेदारी है कि ख़ास तौर पर रमज़ान का चाँद देखने की कोशिश करें क्योंकि यह चाँद उस फ़र्ज़ की अदायगी का पैग़ाम देता है जिसके लिये अल्लाह तआला ने यह फ़रमाया है कि *"रोज़ा मेरे लिये है और मैं ही उसकी जज़ा दूँगा"* हालांकि तमाम इबादतें अल्लाह तआला के लिये ही हैं और वह ही उसका अज्र देता है मगर ख़ास तौर पर रोज़े के लिये यह फ़रमाना उसकी अहमियत ज़ाहिर करता है। लिहाज़ा हमें भी इसकी अहमियत को समझते हुए इसकी शुरूआत चाँद देखने से करनी चाहिये। आजकल लोगों ने यह बहुत ग़लत तरीक़ा इख़्तियार कर लिया है कि ख़ुद चाँद देखने की कोशिश नहीं करते और इधर-उधर से ख़बरे लेने में लगे रहते हैं यह ग़लत है।

चाँद देखने के बारे में कुछ अहादीस

रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमान है कि-

- *रोज़ा न रखो जब तक चाँद न देख लो और इफ़्तार न करो जब तक चाँद न देख लो और अगर अब्र (बादल) हो तो (तीस की) गिनती पूरी कर लो।*

(सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में इब्ने उमर رضي الله عنه से मरवी)

- *एक आराबी (देहाती) ने हुज़ूर ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की मैंने रमज़ान का चाँद देखा है। फ़रमाया कि तू गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अर्ज़ की हाँ। फ़रमाया कि तू गवाही देता है कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं। उसने कहा हाँ। इरशाद फ़रमाया, ऐ बिलाल! लोगों में ऐलान कर दो कि कल रोज़ा रखें।*

(अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा व दारमी, इब्ने अब्बास رضي الله عنه से रिवायत)

चाँद देखने के बारे में ज़रूरी मसाइल

- पाँच महीनों का चाँद देखना वाजिबे किफ़ाया है:- शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादाह, ज़िलहिज्जाह।
- शाबान का इसलिए कि अगर रमज़ान का चाँद देखते वक़्त अब्र या ग़ुबार हो तो तीस(30) पूरे कर के रमज़ान शुरू करें और रमज़ान का रोज़ा रखने के

लिए और शव्वाल का रोज़ा ख़त्म करने के लिए और ज़ीक़ादाह का ज़िलहिज्जाह के लिए और ज़िलहिज्जाह का बक़रईद के लिए।

- शाबान की उन्तीस(29) को चाँद देखें दिखाई दे तो अगले दिन रोज़ा रखें वरना शाबान के तीस(30) दिन पूरे करके रमज़ान का महीना शुरू करें।
- किसी ने रमज़ान या ईद का चाँद देखा मगर उसकी गवाही किसी शरई वजह से रद्द कर दी गई तो उसे हुक्म है कि रोज़ा रखे चाहे अपने आप ईद का चाँद देख लिया है और उस रोज़े को तोड़ना जाइज़ नहीं मगर तोड़ेगा तो कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं और इस सूरत में अगर रमज़ान का चाँद था और उसने अपने हिसाब की वजह से तीस(30) रोज़े पूरे किये मगर ईद के चाँद के वक़्त फिर अब्र या ग़ुबार है तो उसे भी एक दिन और रखने का हुक्म है।
- कोई शख़्स इल्म-ए-हैअत (Astronomy) जानता हो वह अपने इल्म की बिना पर चाँद के बारे में यह बताये कि आज चाँद हुआ या नहीं हुआ तो उसका कोई ऐतबार नहीं चाहे वह कितना ही आदिल हो।
- शरीयत में सिर्फ़ चाँद देखने या गवाही से ही सुबूत का ऐतबार है।
- बादल और ग़ुबार में रमज़ान के चाँद का सुबूत एक मुसलमान, समझदार, बालिग़, ज़ाहिर में शरीयत पर चलने वाला और आदिल शख़्स से हो जाता है वह मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या बांदी, ग़ुलाम हो या ऐसा शख़्स जिसने हद लगने के बाद तौबा कर ली हो।
- आदिल होने के मतलब यह है कि कम से कम मुत्तक़ी हो यानि कबीरा (बड़े) गुनाह से बचता हो और सग़ीरा (छोटे) गुनाह से भी बचता हो और ऐसा काम न करता हो जो अख़लाक़ के ख़िलाफ़ हो जैसे बाज़ार में खाना।
- फ़ासिक़ अगर्चे रमज़ान के चाँद की शहादत दे उसकी गवाही क़ाबिले क़बूल नहीं। अगर उसे उम्मीद है कि उसकी गवाही क़ाज़ी क़बूल कर लेगा तो उसे लाज़िम है कि गवाही दे।
- मस्तूर यानि जिसका ज़ाहिर हाल शरीयत के मुताबिक़ है मगर बातिन का हाल मालूम नहीं उसकी गवाही भी रमज़ान के अलावा क़ाबिले क़बूल नहीं।
- जिस आदिल शख़्स ने रमज़ान का चाँद देखा उस पर वाजिब है कि उसी रात में शहादत अदा कर दे यहाँ तक कि अगर बांदी या पर्दानशीन औरत ने चाँद

देखा तो उस पर गवाही देने के लिए उसी रात में जाना वाजिब है, बांदी को इसके लिये अपने मालिक से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं।

- आज़ाद औरत को भी गवाही के लिए जाना वाजिब है, इसके लिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी नहीं, मगर यह हुक्म उस वक़्त है जब उसकी गवाही के बिना काम न चले वरना ज़रूरत नहीं।
- तार या टेलीफ़ोन से चाँद का हो जाना नहीं साबित हो सकता, न बाज़ारी अफ़वाह और जन्तरियों से और अख़बारों में छपा होना कोई सुबूत नहीं है।

चाँद देखकर उसकी तरफ़ उंगली से इशारा करना मकरूह है अगर्चे दूसरे को बताने के लिए हो।

****

वह चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता

यहाँ अब हम उन चीज़ों का ज़िक्र कर रहे हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता इस सिलसिले में पहले कुछ अहादीस पेश की जा रही हैं जो इस तरह हैं।

रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं-

- *रोज़ादार ने भूलकर खाया या पिया वह अपने रोज़े को पूरा करे कि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया।* (सही बुख़ारी मुस्लिम में अबू हुरैरा ؓ से मरवी)
- *जिस पर क़ै ने ग़लबा किया उस पर क़ज़ा नहीं और जिसने क़सदन क़ै की उस पर रोज़ा क़ज़ा है।* (अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी अबू हुरैरा ؓ से मरवी)
- *तीन चीज़ें रोज़ा नहीं तोड़तीं पछना (ख़ून निकलवाना) , क़ै और एहतिलाम।* (तिर्मिज़ी अबू सईद ؓ से रिवायत)

ज़रूरी मसाइल

यहाँ पर सिर्फ़ उन चीज़ों का बयान है जिन से रोज़ा नहीं टूटता लेकिन यह नहीं बताया गया कि उनसे रोज़ा मकरूह भी होता है या नहीं या यह कि वह काम जाइज़ है या नाजाइज़।

- भूलकर खाने, पीने या जिमा (सोहबत) करने से रोज़ा नहीं टूटता चाहे वह रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफ़्ल।
- याद दिलाने पर भी अगर याद नहीं आया कि रोज़ादार है और रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम किया तो अब रोज़ा टूट जायेगा मगर इस सूरत में कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं।
- किसी रोज़ादार को कुछ खाते- पीते देखें तो याद दिलाना वाजिब है याद न दिलाया तो गुनाहगार होगा। लेकिन अगर वह रोज़ादार बहुत कमज़ोर हो और यह सोचकर कि खा लेगा तो रोज़ा भी अच्छी तरह पूरा कर लेगा और दूसरी इबादतें भी अच्छी तरह अदा कर लेगा, इस सूरत में याद न दिलाना बेहतर है।
- मक्खी, धूल, धुआँ या ग़ुबार हलक़ में ख़ुद से चला जाये तो रोज़ा नहीं टूटता।
- जानबूझ कर धूल या धुआँ वगैरा मुँह या नाक से अंदर की तरफ़ खीचने से रोज़ा टूट जाता है, यहाँ तक कि अगरबत्ती वग़ैरा के धुएँ को नाक से खींचने

पर रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह बीड़ी, सिग्रेट और हुक़्क़ा पीने से भी रोज़ा टूट जाता है और इन्हें पीने वाले पर कफ़्फ़ारा भी लाज़िम आयेगा।

- बोसा लेने से रोज़ा नहीं टूटता अगर इन्ज़ाल (मनी का निकलना) न हो।
- नहाते में या कुल्ली करते में कुछ तरी मुँह में बाक़ी रह गई जो थूक के साथ निगल ली तो उससे रोज़ा नहीं टूटता।
- कान में पानी चला गया या तिनके से कान खुजाया और उस पर कान का मैल लग गया फिर वही मैल लगा हुआ तिनका कान में डाला और कई बार ऐसा किया तो रोज़ा नहीं टूटा।
- दाँत या मुँह में बिल्कुल थोड़ी सी कोई चीज़ रह गई और थूक के साथ हलक़ में उतर गई , या दाँतों से ख़ून निकलकर हलक़ तक पहुँचा मगर हलक़ से नीचे न उतरा तो इन सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता।
- भूले से जिमा कर रहा था याद आते ही अलग हो गया या सुबह सादिक़ से पहले जिमा में मशग़ूल था सुबह होते ही अलग हो गया और अगर इन दोनों सूरतों में अलग होने के बाद इन्ज़ाल हो गया हो तब भी रोज़ा नही टूटता।
- भूले से खाना खा रहा था याद आते ही फ़ौरन निवाला निकाल दिया या सुबह सादिक़ से पहले खा रहा था और सुबह सादिक़ होते ही उगल दिया रोज़ा नहीं टूटा लेकिन अगर निगल लिया तो दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जायेगा।
- एहतिलाम (Night Fall) होने से रोज़ा नहीं टूटता।
- ग़ीबत हालांकि बहुत सख़्त कबीरा गुनाह है। क़ुरआन मजीद में ग़ीबत करने वाले के बारे में फ़रमाया गया है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना और हदीस में ग़ीबत को ज़िना से भी सख़्ततर बताया है और ग़ीबत की वजह से रोज़े की नूरानियत जाती रहती है। लेकिन ग़ीबत करने से रोज़ा नहीं टूटता।
- तेल या सुर्मा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता चाहे तेल या सुर्मे का मज़ा हलक़ में महसूस होता हो बल्कि थूक में सुर्मे का रंग भी दिखाई देता हो जब भी नहीं।
- तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हलक़ से उतर गई तो रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन अगर उसका मज़ा हलक़ में महसूस होता हो तो रोज़ा टूट गया।

****

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में नबी-ए-करीमﷺ की चन्द अहादीस इस तरह हैं-

- *जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बग़ैर रुख़सत* (शरई इजाज़त) *बग़ैर मर्ज़ के न रखा तो ज़माने भर का रोज़ा उसकी क़ज़ा नहीं हो सकता अगर्चे रख भी ले यानि वह फ़ज़ीलत जो रमज़ान में रखने की थी किसी तरह हासिल नहीं कर सकता।*

(बुख़ारी व अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी, अबू हुरैराؓ से रिवायत)

- रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं– *मैं सो रहा था दो शख़्स हाज़िर हुए और मेरे बाज़ू पकड़ कर एक पहाड़ के पास ले गये और मुझसे कहा चढ़िये। मैंने कहा मुझमें इसकी ताक़त नहीं। उन्होंने कहा हम सहल कर देंगे। मैं चढ़ गया जब बीच पहाड़ पर पहुँचा तो सख़्त आवाज़ें सुनाई दीं, मैंने कहा ये कैसी आवाज़ें हैं। उन्होंने कहा यह जहन्नमियों की आवाज़ें हैं फिर मुझे आगे ले गये। मैंने एक क़ौम को देखा वो लोग उल्टे लटके हुए हैं और उनकी बाछें चीरी जा रही हैं जिससे ख़ून बहता है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं कहा ये वो लोग हैं कि वक़्त से पहले रोज़ा इफ़्तार कर लेते हैं।*

(इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान अपनी सही में अबू उमामा बाहलीؓ से रिवायत)

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में ज़रूरी मसाईल

- खाने, पीने और जिमा (सोहबत) करने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि रोज़ादार होना याद हो।
- हुक़्क़ा, सिगार, सिगरेट, बीड़ी और चरस वग़ैरा पीने से रोज़ा टूट जाता है चाहे हलक़ तक धुआँ पहुँचे या नहीं।
- पान या ख़ाली तम्बाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाता है, चाहे पीक थूक दी हो।
- चीनी वग़ैरा ऐसी चीज़ें जो मुँह में रखने से घुल जाती हैं मुँह में रखी और थूक निगल लिया तो रोज़ा टूट गया।
- दाँतों के बीच कोई चीज़ चने के बराबर या ज़्यादा थी उसे खा गया या कम ही थी मगर मुँह से निकाल कर फिर खा ली तो रोज़ा टूट गया।

- दाँतों से ख़ून निकल कर हलक़ से नीचे उतरा और ख़ून थूक से ज़्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मज़ा हलक़ में महसूस हुआ तो इन सब सूरतों में रोज़ा टूट गया और अगर कम था और मज़ा भी महसूस नहीं हुआ तो नहीं।
- नाक के नथनों में दवा डालने से, कान में तेल डालने, ख़ुद चले जाने से या हुक़ना (enema) लेने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन पानी कान में चले जाने या डालने से रोज़ा नहीं टूटता।
- कुल्ली करते में बिना इरादा पानी हलक़ से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग़ को चढ़ गया तो रोज़ा टूट गया लेकिन अगर रोज़ा होना भूल गया हो तो नहीं टूटेगा चाहे जानबूझ कर हो।
- किसी ने रोज़ादार की तरफ़ कोई चीज़ फेंकी वह उसके हलक़ में चली गई तो रोज़ा टूट जाता है।
- सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुँह खुला था और पानी की बूँद या ओला हलक़ में चला गया तो रोज़ा टूट जाता है।
- थूक मुँह से बाहर आने के बाद दोबारा निगल लेने से रोज़ा टूट जाता है।
- मुँह में रंगीन डोरा रखने से थूक रंगीन हो गया उसे निगलने से रोज़ा टूट गया।
- आँसू मुँह में चला गया और निगल लिया अगर एक-दो बूंद है तो रोज़ा नहीं टूटा लेकिन अगर इतना ज़्यादा हो कि उसकी नमकीनी पूरे मुँह में महसूस हुई तो रोज़ा टूट जाता है। पसीने का भी यही हुक्म है।
- औरत का बोसा लिया, छुआ, चूमा या गले लगाया और इन्ज़ाल हो गया तो रोज़ा टूट गया और औरत के छूने से मर्द को इन्ज़ाल हुआ तो रोज़ा नहीं टूटा।
- जानबूझ कर मुँह भर क़ै (उल्टी) करने से रोज़ा टूट जाता है अगर रोज़ादार होना याद हो और उससे कम की या जानबूझकर नहीं की तो रोज़ा नहीं टूटा।
- क़ै का मतलब है कि उल्टी में खाना, सफ़रा (पित्त) या ख़ून आये और अगर बलग़म आया तो रोज़ा नहीं टूटा।

****

रोज़े की क़ज़ा

अब हम कुछ उन सूरतों का ज़िक्र कर रहे हैं जिनमें रोज़ा टूट जाने पर सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम होती है। क़ज़ा लाज़िम होने का मतलब है कि उस रोज़े के बदले में सिर्फ़ एक रोज़ा रखना पड़ेगा।

- यह सोचकर कि सहरी का वक़्त बाक़ी है कुछ खा-पी लिया या बीवी से सोहबत कर ली और बाद में मालूम हुआ कि सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया था तो रमज़ान के बाद एक रोज़ा क़ज़ा रखें।
- इसी तरह यह सोचकर कि सूरज डूब चुका है रोज़ा इफ़्तार कर लिया तब भी एक रोज़ा क़ज़ा रखें।
- खाने-पीने के लिये मजबूर किया गया यानि ज़बरदस्ती या सख़्त धमकी देकर खिलाया गया चाहे अपने ही हाथ से खाया हो तो सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है।
- भूलकर कुछ खाया पिया या भूले में कोई ऐसा काम हो गया जिससे रोज़ा टूट जाता है, इन सब सूरतों में यह सोचकर कि रोज़ा टूट गया है जानबूझ कुछ खा लिया तो सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है।
- बच्चे की उम्र दस साल की हो जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताक़त हो तो उससे रोज़ा रखवाया जाए न रखे तो मार कर रखवायें । अगर बच्चा रोज़ा रखकर तोड़ दे तो क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जायेगा और नमाज़ तोड़े तो फिर पढ़वायें।

****

रोज़ा तोड़ने का कफ़्फ़ारा

कोई शख़्स जिस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ हो रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद जानबूझ कर कोई ऐसा काम करे जिससे रोज़ा टूट जाता है तो उस पर क़ज़ा के साथ कफ़्फ़ारा भी लाज़िम होता है।

क़ज़ा के साथ कफ़्फ़ारा कब लाज़िम होता है?

- जिमा (संभोग) करने से, चाहे मनी निकली हो या नहीं।
- औरत को छूने, बोसा लेने, साथ में लिटाने या शर्मगाहों (Private parts) को मिलाने की वजह से इन्ज़ाल होने यानि मनी निकलने पर।
- पानी पीने से।
- मज़े या ताक़त के लिये कुछ खाने-पीने से।
- जिस जगह रोज़ा तोड़ने से कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है उसमें शर्त यह है कि रात ही से रमज़ान के रोज़े की नीयत की हो अगर दिन में नीयत की और तोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं जैसे कोई मुसाफ़िर सुबह सादिक़ (फ़ज्र) के बाद ज़हवा-ए-कुबरा (ज़वाल) से पहले अपने शहर को वापस आया और रोज़े की नीयत कर ली फिर तोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा नहीं।
- कफ़्फ़ारा लाज़िम होने के लिए भर पेट खाना ज़रूरी नहीं थोड़ा सा खाने से भी वाजिब हो जायेगा।
- किसी शख़्स ने तेल लगाया, ग़ीबत की या कोई ऐसा काम किया कि जिससे रोज़ा नहीं टूटता मगर इसने यह गुमान कर लिया कि रोज़ा टूट गया या किसी आलिम ने भी रोज़ा टूटने का फ़तवा दे दिया और उसके बाद अब उसने कुछ खा-पी लिया जब भी कफ़्फ़ारा लाज़िम हो गया।
- थूक कर चाट गया या दूसरे का थूक निगला तो कफ़्फ़ारा नहीं मगर महबूब का लुआब (थूक) लज़्ज़त के लिये या किसी दीनी हस्ती जैसे पीर या आलिम का लुआब तबर्रुक के लिए निगला तो कफ़्फ़ारा लाज़िम है।
- जिन सूरतों में रोज़ा तोड़ने पर कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं उनमें यह शर्त है कि एक ही बार ऐसा हुआ हो और गुनाह का इरादा न हो वरना उसमें भी कफ़्फ़ारा है।
- कच्चा गोश्त चाहे मुर्दार का हो खाने से कफ़्फ़ारा लाज़िम हो जाता है।

- मिट्टी खाने की आदत की वजह से मिट्टी खाई तो कफ़्फ़ारा वाजिब है।
- नमक अगर थोड़ा खाया तो कफ़्फ़ारा वाजिब है ज़्यादा खाया तो नहीं।
- पेड़ के पत्ते या सब्ज़ियाँ जो खाई जाती हैं उनके खाने से कफ़्फ़ारा वाजिब है।
- कच्चे चावल बाजरा, मसूर, मूंग खाई तो कफ़्फ़ारा नहीं यही हुक्म कच्चे जौ का है और भुने हुए हों तो कफ़्फ़ारा लाज़िम है।
- तिल या तिल बराबर खाने की कोई चीज़ बाहर से मुँह में डाल कर बग़ैर चबाये निगल गया तो रोज़ा गया और कफ़्फ़ारा वाजिब।
- सहरी का वक़्त ख़त्म होने पर या भूलकर खाते में याद आने पर पर मुँह का निवाला निगल लिया तो दोनों सूरतों में कफ़्फ़ारा वाजिब है। लेकिन मुँह से निकाल कर फिर खाया हो तो सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी कफ़्फ़ारा नहीं।

रोज़ा तोड़ने का कफ़्फ़ारा

1. अगर हो सके तो एक बांदी या ग़ुलाम आज़ाद करें।

(नोटः- इस्लाम ही वह मज़हब है जिसने सबसे पहले ग़ुलाम प्रथा को ख़त्म करने की शुरूआत की। इस मक़सद को हासिल करने के लिये शरीयत के क़ानून बनाकर और दुनिया व आख़िरत के इनामात बताकर ग़ुलामी की ज़ंज़ीरों में जकड़े हुए लोगों को आज़ाद कराने के लिये लोगों को तरग़ीब दी यानि motivate किया। यहाँ पर क़सदन रोज़ा तोड़ने के जुर्माने के तौर पर ग़ुलाम या बांदी को आज़ाद करने का हुक्म फ़रमाने मे भी यही हिकमत है।)

या

2. लगातार साठ रोज़े रखें, एक रोज़ा भी छूट गया तो दोबारा से साठ रोज़े रखने होंगे। पहले के रोज़े गिनती में नहीं आयेंगे चाहे बीमारी या किसी मजबूरी की वजह से ही छूटा हो। औरत को हैज़ की वजह से बीच में रोज़े छूट जायें तो पाक होने पर बाक़ी रोज़े रखकर साठ पूरे करने से कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा।

या

3. साठ मिसकीनों को भर पेट दोनों वक़्त खाना खिलायें।

अगर दो रोज़े तोड़े तो दोनों के लिए दो कफ़्फ़ारे दे (जबकि दोनों दो रमज़ान के हों), अगर दोनों रोज़े एक ही रमज़ान के हों और पहले का कफ़्फ़ारा अदा न किया हो तो एक ही कफ़्फ़ारा दोनों के लिए काफ़ी है।

****

रोज़े के मकरूहात

रोज़े के मकरूहात वह है जिनसे रोज़े के सवाब में कमी आती है और कुछ में गुनाह भी होता है। लिहाज़ा इनसे बचना ज़रूरी है।

रोज़े के मकरूहात बारे में कुछ अहादीस-ए-नबवी ﷺ

- *जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह तआला को इसकी कुछ हाजत नहीं कि उसने खाना-पीना छोड़ दिया है।*

(बुख़ारी व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा, अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ से रिवायत)

- *रोज़ा सिपर (ढाल) है जब तक उसे फाड़ा न हो। अर्ज़ की गई किस चीज़ से फाड़ेगा। इरशाद फ़रमाया झूठ या ग़ीबत से।*

(बैहक़ी अबू उबैदा और तबरानी , अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ से रिवायत)

- *रोज़ा इसका नाम नहीं कि खाने और पीने से बाज़ रहना, रोज़ा तो यह है कि बेहूदा बातों से बचा रहे।*

(इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हिब्बान व हाकिम, अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ से रिवायत)

रोजे के मकरूहात बारे में कुछ मसाईल

- झूठ, चुग़ली, ग़ीबत, गाली देना, बेहूदा बात, किसी को तकलीफ़ देना कि यह चीज़ें वैसे भी नाजाइज़ व हराम हैं, रोज़े में और ज़्यादा हराम और इन की वजह से रोज़े में कराहत आती है।
- रोज़ादार को बिना उज़्र (शरई वजह) किसी चीज़ का चखना या चबाना मकरूह है।
- चखने के लिए उज़्र यह है कि जैसे किसी औरत का शौहर या बांदी या ग़ुलाम का आक़ा बदमिज़ाज है कि नमक कम या ज़्यादा होगा तो आक़ा बहुत नाराज़ होगा तो इस वजह से चखने में हर्ज नहीं।
- चबाने के लिए यह उज़्र है कि इतना छोटा बच्चा है कि रोटी नहीं खा सकता और कोई नर्म ग़िज़ा नहीं जो उसे खिलाई जाये और न कोई बे-रोज़ादार ऐसा है जो उसे चबा कर दे दे तो बच्चे के खिलाने के लिए रोटी वग़ैरा चबाना मकरूह नहीं।

- **चखने का वह मतलब नहीं जो आजकल आमतौर पर देखने में आता है कि किसी चीज़ का मज़ा मालूम करने के लिये उसमें से थोड़ा खा लिया। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से तो रोज़ा ही टूट जाता है और कफ़्फ़ारा भी लाज़िम हो सकता है। चखने का मतलब यह है कि ज़बान पर रखकर मज़ा मालूम करके उसे थूक दे उसमें से हलक़ में कुछ न जाने पाये और थूकने के बाद भी अगर मुँह में उसका मज़ा महसूस हो तो कुल्ली कर लेना चाहिये।**
- औरत का बोसा लेना, गले लगाना और बदन छूना या और कोई ऐसा काम करना जिससे शहवत (Sexual Desire) बढ़े मकरूह है।
- ज़ीनत (सिंगार) के लिए सुर्मा लगाना या इसलिए तेल लगाया कि दाढ़ी बढ़ जाये जबकि एक मुट्ठी दाढ़ी है तो ये दोनों बातें मकरूह हैं।
- रोज़े में कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में ज़्यादती करना मकरूह है कुल्ली में ज़्यादती करने का यह मतलब है कि मुँह भर के पानी लें।
- रोज़े की वजह से परेशानी ज़ाहिर करने के लिए भीगा कपड़ा लपेटना मकरूह है कि इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं।
- पानी के अन्दर रियाह (हवा) ख़ारिज करने से रोज़ा नहीं जाता मगर मकरूह है और रोज़ादार को इस्तिन्जा में ज़्यादती करना भी मकरूह है। इस्तिन्जा में ज़्यादती करने का मतलब यह है कि जैसे और दिनों में हुक्म है कि इस्तिन्जा करने में नीचे को ज़ोर दिया जाये और रोज़े में यह मकरूह है।
- मुँह में थूक इकट्ठा करके निगल जाना बग़ैर रोज़े के भी नापसन्द है और रोज़े में मकरूह।
- सहरी का खाना और उसमें देर करना मुस्तहब है मगर इतनी देर करना मकरूह है कि सुबह सादिक़ होने का शक हो जाये।
- इफ़्तार में जल्दी करना मुस्तहब है मगर इफ़्तार उस वक़्त करें कि ग़ुरूब का ग़ालिब गुमान हो जब तक गुमान ग़ालिब न हो इफ़्तार न करें चाहे अज़ान हो गई हो और बादल वाले दिनों में इफ़्तार में जल्दी नहीं करनी चाहिए।

****

सहरी और इफ़्तार

सहरी और इफ़्तार रमज़ान की पहचान होने के साथ-साथ अहम रुकुन भी हैं इनकी बहुत फ़ज़ीलत बयान की गई हैं।

सहरी और इफ़्तार की फ़ज़ीलत में कुछ अहादीस-ए-नबवीﷺ इस तरह हैं-

- *सहरी खाओ कि सहरी खाने में बरकत है।*

(बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा, अनसؓ से रिवायत)

- *हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क़ सहरी का लुक़मा है।*

(मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने ख़ुज़ैमा, अम्र इब्ने आसؓ से रिवायत)

- *तीन चीज़ों में बरकत है जमाअत में, सरीद (एक खाना) और सहरी में।*

(तबरानी ने कबीर में सलमान फ़ारसी ؓ से रिवायत)

- *अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं।*

(तबरानी औसत में और इब्ने हिब्बान सही में इब्ने उमर ؓ से रिवायत)

- *हमेशा लोग ख़ैर के साथ रहेंगे जब तक इफ़्तार में जल्दी करेंगे।*

(बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी, सहल इब्ने सअद ؓ से रिवायत)

- *उम्मत मेरी सुन्नत पर रहेगी जब तक इफ़्तार में सितारों का इन्तिज़ार न करे।*

(इब्ने हिब्बान सहीह में उन्हीं से रिवायत)

- *जब तुम में कोई रोज़ा इफ़्तार करे तो खजूर या छुआरे से इफ़्तार करे कि वह बरकत है और अगर न मिले तो पानी से कि वह पाक करने वाला है।*

(इमाम अहमद व अबू दाऊद और तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी सलमान इब्ने आमिर ज़बी ؓ से रिवायत)

- *हज़रत अनसؓ से रिवायत है कि हुज़ूर ﷺ नमाज़ से पहले तर खजूरों से रोज़ा इफ़्तार फ़रमाते तर खजूरें न होतीं तो चन्द ख़ुश्क खजूरों से और यह भी न होतीं तो चन्द चुल्लू पानी पीते ।*

(अबू दाऊद व तिर्मिज़ी)

- *हुज़ूर ﷺ इफ़्तार के वक़्त यह दुआ पढ़ते।*

اَللّٰھُمَّ لَکَ صُمْتُ وَ عَلٰی رِزْقِکَ اَفْطَرْتُ

(अबू दाऊद)

- *जो रोज़ादार का रोज़ा इफ़्तार कराये या ग़ाज़ी का सामान कर दे तो उसे भी उतना ही मिलेगा।*

(निसाई व इब्ने ख़ुज़ैमा, ज़ैद इब्ने ख़ालिद जुहनीؓ से रिवायत)

- *जिसने हलाल खाने या पानी से रोज़ा इफ़्तार कराया फ़रिश्ते रमज़ान के महीने के वक़्तों में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और जिब्राईल عليه السلام शबे क़द्र में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं।*

(तबरानी कबीर में सलमान फ़ारसी رضي الله عنه से रिवायत)

- ***एक रिवायत में है जो हलाल कमाई से रमज़ान में रोज़ा इफ़्तार कराएगा रमज़ान की तमाम रातों में फ़रिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं और शबे क़द्र में जिब्राईल عليه السلام उससे मुसाफ़ा करते हैं और एक रिवायत में है जो रोज़ादार को पानी पिलायेगा अल्लाह तआला उसे मेरे हौज़ से पिलायेगा कि जन्नत में दाख़िल होने तक प्यासा न होगा।***

****

रोज़ा छोड़ने की इजाज़त

दीन-ए-इस्लाम में सख़्ती नहीं है। दीन के जो भी अहकाम हैं उनमें इन्सान की उम्र, सेहत, तंदरूस्ती और हालात के मुताबिक़ छूट दी जाती है। इसी तरह कुछ हालतें ऐसी भी हैं जिनमें रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है।

हदीस-ए-नबवी ﷺ

- *अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर से आधी नमाज़ माफ़ फ़रमा दी (यानि चार रकअत वाली दो पढ़े) और मुसाफ़िर, दूध पिलाने वाली और हामिला (गर्भवती) से रोज़ा माफ़ फ़रमा दिया (इनको इजाज़त है कि उस वक़्त छोड़कर बाद में गिनती पूरी कर लें।)*

(अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा अनस इब्ने मालिक कअबी ؓ से रिवायत)

इन लोगों को रमजान का रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है

1. मुसाफ़िर
2. बीमार
3. हामिला (गर्भवती) औरत।
4. बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत।
5. बूढ़ा शख़्स।
6. वह शख़्स जिसको मौत का या सख़्त तकलीफ़/नुक़सान का डर हो।
7. जिहाद में शामिल शख़्स।

ज़रूरी मसाइल

- सफ़र का मतलब सफ़र-ए-शरई है। ज़मीन पर चलने के हिसाब से इसकी दूरी लगभग (92.5 KM) किलो मीटर है।
- रोज़ा रखने के बाद दिन में सफ़र किया तो इस सफ़र की वजह से उस दिन का रोज़ा तोड़ने का हुक्म नहीं अगर तोड़ेगा तो गुनाहगार होगा मगर कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं आयेगा और अगर सफ़र करने से पहले तोड़ दिया फिर सफ़र किया तो कफ़्फ़ारा भी लाज़िम और अगर दिन में सफ़र किया और मकान पर

कोई चीज़ भूल गया था उसे लेने वापस आया और मकान पर आकर रोज़ा तोड़ डाला तो कफ़्फ़ारा वाजिब है।

- मुसाफ़िर ज़वाल का वक़्त शुरू होने से पहले कहीं ठहर गया और कुछ खाया पिया नहीं तो उस पर वाजिब है कि रोज़े की नीयत करके रोज़ा पूरा करें।
- मरीज़ को मर्ज़ बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तन्दरुस्त को बीमार हो जाने का गुमान ग़ालिब हो या ख़ादिम व ख़दिमा को ना-क़ाबिले बर्दाश्त कमज़ोरी का ग़ालिब गुमान हो तो उन सब को इजाज़त है कि उस दिन रोज़ा न रखें।
- इन सूरतों में ग़ालिब गुमान की क़ैद है सिर्फ़ वहम या ख़्याल काफ़ी नहीं है। ग़ालिब गुमान की तीन सूरतें हैं –
  1. उसकी ज़ाहिर निशानियाँ पाई जाती हो।
  2. उस शख़्स ने ख़ुद यह आज़माया हो यानि ज़ाती तजुर्बा हो।
  3. किसी मुसलमान हकीम/डाक्टर जो फ़ासिक (खुले आम गुनाह करने वाला) न हो, उसने यह ख़बर दी हो।

नोटः- अगर न कोई अलामत हो ,न तजुर्बा, न किसी मुसलमान हकीम/डाक्टर ने उसे बताया बल्कि किसी ग़ैर मुस्लिम या फ़ासिक़ हकीम/डाक्टर के कहने से इफ़्तार कर लिया तो कफ़्फ़ारा लाज़िम हो जायेगा।

- हैज़ या निफ़ास की वजह से जो औरत रोज़ा छोड़े उसे इख़्तियार है कि छिप कर खाये या ज़ाहिर में, रोज़ा की तरह रहना उस पर ज़रूरी नहीं मगर छिप कर खाना ज़्यादा अच्छा है ख़ास तौर पर हैज़ वाली के लिए।
- भूख और प्यास ऐसी हो कि हलाक (मौत) होने का सही डर या अक़्ल जाती रहने का अन्देशा हो तो रोज़ा न रखना जाइज़ है। इससे वह लोग सबक़ ले जो शुगर की वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं।
- **जिन लोगों ने किसी उज़्र (शरई वजह) से रोज़ा तोड़ा उन पर फ़र्ज़ है कि उन रोज़ों की क़ज़ा रखें और इन क़ज़ा रोज़ों में तरतीब फ़र्ज़ नहीं मगर हुक्म यह है कि उज़्र जाने के बाद दूसरे रमज़ान के आने से पहले क़ज़ा रख ले। हदीस शरीफ़ में है कि जिस पर पिछले रमज़ान के क़ज़ा रोज़े बाक़ी हैं और वह न रखे उसके इस रमज़ान के रोज़े क़बूल न होंगे।**

- मुसाफ़िर को और उसके साथ वाले को रोज़ा रखने में नुक़सान न पहुँचे तो रोज़ा रखना सफ़र में बेहतर है।
- जो लोग किसी उज़्र से रोज़े न रख पायें और उसी उज़्र में मौत हो गई, इतना मौक़ा नहीं मिला कि क़ज़ा रखते तो उनके वारिसों पर यह वाजिब नहीं कि फ़िदया अदा करें लेकिन अगर वह वसीयत कर जायें तो उनके तिहाई माल में से फ़िदया अदा करें और अगर इतना मौक़ा मिला कि क़ज़ा रोज़े रख लेते मगर न रखे तो फ़िदया अदा करने की वसीयत कर जाना वाजिब है और जानबूझ कर न रखे हों तो वसीयत करना और सख़्त वाजिब है और वसीयत न की बल्कि वली ने अपनी तरफ़ से दे दिया तो भी जाइज़ है मगर वली पर देना वाजिब नहीं।
- एक रोज़े का फ़िदया एक शख़्स के सदक़ा-ए-फ़ित्र के बराबर है यानि 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या इनकी क़ीमत।
- वसीयत करना सिर्फ़ उतने ही रोज़ों के लिये वाजिब है जिन रोज़ों के रखने पर क़ादिर हुआ था मसलन दस क़ज़ा हुये थे और उज़्र जाने के बाद पाँच पर क़ादिर हुआ था कि इन्तिक़ाल हो गया तो पाँच ही की वसीयत है।
- एक शख़्स की तरफ़ से दूसरा शख़्स रोज़ा नहीं रख सकता।
- वह बूढ़ा शख़्स जिसकी उम्र ऐसी हो गई कि दिनों-दिन कमज़ोर होता जा रहा है और उसमें इतनी ताक़त नहीं रही कि रोज़ा रख सके और न ही आइन्दा उसमें इतनी ताक़त आने की उम्मीद है कि रोज़ा रख सकेगा उसे रोज़ा न रखने की इजाज़त है, और हर रोज़े के बदले में फ़िदया यानि दोनों वक़्त एक मिस्कीन को भर पेट खाना खिलाना उस पर वाजिब है या हर रोज़े के बदले में सदक़ा-ए-फ़ित्र के बराबर किसी मिस्कीन को दें।
- अगर फ़िदया देने के बाद इतनी ताक़त आ गई कि रोज़ा रख सके तो फ़िदया सदक़ा-ए-नफ़्ल हो जायेगा और उन रोज़ों की क़ज़ा रखी जायेगी।
- नफ़्ल रोज़ा क़सदन शुरू करने से लाज़िम हो जाता है अगर तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी।
- नफ़्ल रोज़ा क़सदन नहीं तोड़ा बल्कि बिला इख़्तियार टूट गया मसलन रोज़े के दरमियान में हैज़ आ गया जब भी क़ज़ा वाजिब है।

- ईदैन या अय्यामे तशरीक़ (बक़रईद और उसके बाद के तीन दिन को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं) में रोज़ा नफ़्ल रखा तो उस रोज़े का पूरा करना वाजिब नहीं न उसके तोड़ने से क़ज़ा वाजिब बल्कि इस रोज़े का तोड़ देना वाजिब है।
- जिस शख़्स ने नफ़्ल रोज़ा रखा और उसके किसी भाई ने दावत की तो ज़हवा-ए-कुबरा से पहले नफ़्ल रोज़ा तोड़ देने की इजाज़त है।
- औरत बग़ैर शौहर की इजाज़त के नफ़्ल और मन्नत व क़सम के रोज़े न रखे और रख ले तो शौहर तुड़वा सकता है मगर तोड़ेगी तो क़ज़ा वाजिब होगी मगर उसकी क़ज़ा में भी शौहर की इजाज़त ज़रूरी है।
- अगर रोज़ा रखने में शौहर का कुछ हर्ज न हो मसलन वह सफ़र में है या बीमार है या एहराम में है तो इन हालतों में बग़ैर इजाज़त के भी क़ज़ा रख सकती है बल्कि अगर वह मना करे जब भी और इन दिनों में भी बिना उसकी इजाज़त के नफ़्ल नहीं रख सकती।

रमज़ान और रमज़ान के क़ज़ा रोज़ों के लिए शौहर की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं बल्कि उसकी मनाही पर भी रखे।

****

नफ़्ल रोज़े और उनके फ़ज़ाइल

साल में कुछ ऐसे ख़ास दिन आते हैं जिनमे रोज़ा रखने की बहुत फ़ज़ीलत बयान की गई है इन्हें नफ़्ल रोज़े कहते हैं। यह रोज़े रखना फ़र्ज तो नहीं लेकिन इनके बहुत से फ़ज़ाइल हैं।

आशूरा यानि दस (10) मुहर्रम का रोज़ा और नौ (9) का भी बेहतर है।

- *रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं रमज़ान के बाद अफ़ज़ल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ के बाद अफ़ज़ल नमाज़ सलातुल्लैल यानि तहज्जुद की नमाज़ है।* (मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत)
- *रसूलुल्लाह ﷺ जब मदीने में तशरीफ़ लाये यहूद को आशूरे के दिन रोज़ादार पाया। इरशाद फ़रमाया यह क्या दिन है कि तुम रोज़ा रखते हो। अर्ज़ की यह अज़मत वाला दिन है कि इसमें मूसा عليه السلام और उनकी क़ौम को अल्लाह तआला ने निजात दी और फ़िरऔन और उसकी क़ौम को डुबो दिया लिहाज़ा मूसा عليه السلام ने ब-तौरे शुक्र इस दिन का रोज़ा रखा तो हम भी रोज़ा रखते हैं, इरशाद फ़रमाया मूसा عليه السلام की मुआफ़िक़त करने में ब-निसबत तुम्हारे हम ज़्यादा हक़दार और ज़्यादा क़रीब हैं तो हुज़ूर ﷺ ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और इसका हुक्म भी फ़रमाया।* (सहीहैन में इब्ने अब्बास رضي الله عنه से मरवी)

अरफ़ा यानी नौ(9) ज़िलहिज्जा का रोज़ा।

- रसूलुल्लाह ﷺ ने अरफ़े के रोज़े को हज़ार दिन के बराबर बताया मगर हज करने वाले पर जो अराफ़ात में है उसे अरफ़े के दिन का रोज़ा रखना मकरूह है। (उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा رضي الله عنها से बैहक़ी व तबरानी रिवायत करते हैं)
- हुज़ूर ﷺ ने अरफ़े के दिन अराफ़ात में रोज़ा रखने से मना फ़रमाया। (अबू दाऊद व निसाई व इब्ने ख़ुज़ैमा अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत)

शव्वाल में 6 दिन के रोज़े यानि शशईद के रोज़े

- *रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उनके बाद छः दिन शव्वाल में रखे तो ऐसा है जैसे दहर यानि साल भर का रोज़ा रखा।*

(मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, निसाई, इब्ने माजा, तबरानी में अबू अय्यूब رضي الله عنه से रिवायत)

(और इसी के मिस्ल अबू हुरैरा رضي الله عنه से मरवी)

- *रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद छः दिन शव्वाल में रखे तो गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है।* (तबरानी औसत में अब्दुल्लाह इब्ने उमर رضي الله عنه से रिवायत)

शाबान का रोज़ा और पन्द्रह (15) शाबान के फ़ज़ाइल।

- *हुज़ूर ﷺ ने फ़रमाया मेरे पास जिब्राईल عليه السلام आये और कहा यह शाबान की पन्द्रहवीं रात है इसमें अल्लाह तआला जहन्नम से इतनों को आज़ाद फ़रमा देता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं मगर काफ़िर व अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ़ नज़रे रहमत नहीं फ़रमाता। (*अरब में बनी कल्ब एक क़बीला है जिनके यहाँ बकरियाँ बहुत होती थीं*)। इमाम अहमद ने इब्ने उमर رضي الله عنه से जो रिवायत की उसमें क़ातिल का भी ज़िक्र है।* (बैहक़ी ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ीअल्लाह अन्हा से रिवायत)
- *नबी ﷺ फ़रमाते हैं जब शाबान की पन्द्रहवीं रात आ जाती है तो उस रात को क़ियाम करो यानि पूरी रात नमाज़ और इबादत में गुज़ारो और दिन में रोज़ा रखो कि रब तबारक व तआला ग़ुरूबे आफ़ताब से आसमाने दुनिया पर ख़ास तजल्ली फ़रमाता है और फ़रमाता है कि है कोई बख़्शिश चाहने वाला कि उसे बख़्श दूँ , है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि उसे रोज़ी दूँ , है कोई मुसीबत में मुब्तला कि उसे आफ़ियत दूँ, है कोई ऐसा! , है कोई ऐसा ! और यह उस वक़्त तक फ़रमाता है कि फ़ज्र यानि सुबह सादिक़ तुलू हो जाये।* (इब्ने माजा, हज़रत अली رضي الله عنه से रिवायत)
- *उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ीअल्लाह अन्हा फ़रमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस ﷺ को शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़ा रखते नहीं देखा।*

हर महीने में तीन रोज़े ख़ास तौर पर 13, 14, 15 तारीख़ को जिन्हें "अय्यामे बैज़" कहते हैं।

- *रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया हर महीने में तीन दिन के रोज़े ऐसे हैं जैसे दहर (हमेशा) का रोज़ा ।* (सही बुख़ारी, मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने अम्र बिन आस ؓ से मरवी)
- *रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया जब महीने में तीन रोज़े रखने हों तो तेरह, चौदह, पन्द्रह को रखो।* (इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा अबू ज़र ؓ से रिवायत)
- *हुज़ूर अक़दस ﷺ चार चीज़ों को नहीं छोड़ते थे।*
    1. *आशूरा यानि दस मुहर्रम का रोज़ा,*
    2. *ज़िलहिज्जाह में पहली तारीख़ से नौ तारीख़ तक के रोज़े,*
    3. *हर महीने में तीन दिन के रोज़े और*
    4. *फ़ज्र के पहले दो रकअतें।*

(निसाई ने उम्मुल मोमिनीन हफ़सा रज़ीअल्लाह तआला अन्हा से रिवायत)

पीर और जुमेरात के रोज़े।

- *रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं पीर और जुमेरात को आमाल पेश होते हैं तो मैं पसन्द करता हूँ कि मेरा अमल उस वक़्त पेश हो कि मैं रोज़ादार हूँ ।*

(सुनन-ए-तिर्मिज़ी में अबू हुरैरा ؓ से मरवी)

- *इब्ने माजा में उन्हीं से रिवायत है कि हुज़ूर ﷺ पीर और जुमेरात को रोज़े रखा करते थे। इसके बारे में अर्ज़ की गई तो फ़रमाया इन दिनों में अल्लाह तआला हर मुसलमान की मग़फ़िरत फ़रमाता है मगर वह दो शख़्स जिन्होंने आपस में एक दूसरे से जुदाई कर ली है उनके बारे में मलाइका से फ़रमाता है इन्हें छोड़ो यहाँ तक कि यह सुलह कर लें।*
- *हुज़ूर ﷺ से पीर के दिन रोज़े का सबब दरयाफ़्त किया गया। फ़रमाया इसी में मेरी विलादत (पैदाइश) हुई और इसी में मुझ पर **"वही"** नाज़िल हुई।*

(सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू क़तादा ؓ से मरवी)

****

एतिकाफ़

मस्जिद में इस नीयत के साथ ठहरना कि अल्लाह के लिए ठहरा है **एतिकाफ़** है। एतिकाफ़ के लिए मुसलमान, आक़िल यानि समझदार होना और पाक व साफ़ होना शर्त है।

एतिकाफ़ की तीन क़िस्म हैं

1. **वाजिब** – एतिकाफ़ की मन्नत मानने से एतिकाफ़ वाजिब हो जाता है इसके लिये दिल के इरादे के साथ-साथ ज़ुबान से भी कहना ज़रूरी है सिर्फ़ दिल में इरादे से वाजिब नहीं होगा।
2. **सुन्नते मुअक्कदा** – रमज़ान के आख़िर के दस दिन में एतिकाफ़ करना सुन्नते मुअक्कदा है। यह एतिकाफ़ सुन्नते किफ़ाया है यानि अगर सब छोड़ दें तो सबसे इसके बारे में मुतालबा होगा और शहर में एक ने कर लिया तो सब इस ज़िम्मेदारी से आज़ाद हो गये। इस एतिकाफ़ में बीस रमज़ान को सूरज डूबते वक़्त से ईद का चाँद होने तक एतिकाफ़ की नीयत से दिन-रात मस्जिद में रहना ज़रूरी है।
3. **मुस्तहब/सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा** – इन दोनों के अलावा अगर एतिकाफ़ किया जाये वह मुस्तहब या सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा है।

एतिकाफ़ के मुताल्लिक़ कुछ अहादीस

- *रसूलुल्लाह ﷺ रमज़ान के आख़िर अशरा (यानि रमज़ान के आख़िरी दस दिन) का एतिकाफ़ फ़रमाया करते थे।*

(सहीहैन में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ीअल्लाहु तआला अन्हा से मरवी)

- *एतिकाफ़ करने वाले पर सुन्नत यह है कि न मरीज़ की इयादत को जाये, न जनाज़े में हाज़िर हो, न औरत को हाथ लगाये और न उससे मुबाशरत करे और न कुछ ख़ास ज़रूरतों के अलावा किसी दूसरी ज़रूरत के लिए मस्जिद के बाहर जाये मगर उस हाजत के लिए जा सकता है जो ज़रूरी है और एतिकाफ़ बग़ैर रोज़े के नहीं और एतिकाफ़ जमाअत वाली मस्जिद में करे।*

(अबू दाऊद उन्हीं से रिवायत)

- *रसूलुल्लाह ﷺ ने एतिकाफ़ करने वाले के बारे में फ़रमाया कि वह गुनाहों से बाहर रहता है और नेकियों से उसे इस क़द्र सवाब मिलता है जैसे उसने तमाम नेकियाँ कीं।*

(इब्ने माजा इब्ने अब्बास رضي الله عنه से रिवायत)

- *हुज़ूर अक़दस ﷺ ने फ़रमाया जिसने रमज़ान में दस दिनों का एतिकाफ़ कर लिया तो ऐसा है जैसे दो हज और दो उमरे किये।*

(बैहक़ी इमाम हुसैन رضي الله عنه से रिवायत)

एतिकाफ़ के लिये ज़रूरी मसाइल

- एतिकाफ़ के लिए जामा मस्जिद होना शर्त नहीं बल्कि मस्जिद-ए-जमाअत में भी हो सकता है। मस्जिदे जमाअत वह है जिसमें इमाम व मुअज़्ज़िन मुक़र्रर हों, चाहे उसमें पाँचों वक़्त की नमाज़ नहीं होती । वैसे आसानी के तौर पर हर मस्जिद में एतिकाफ़ सही है चाहे वह मस्जिद-ए-जमाअत न भी हो।
- सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल एतिकाफ़ मस्जिद हरम शरीफ़ में है, फिर मस्जिद नबवी शरीफ़ में, फिर मस्जिद अक़सा में, फिर उस मस्जिद में जहाँ बड़ी जमाअत होती हो।
- औरत को मस्जिद में एतिकाफ़ मकरूह है बल्कि वह घर में ही एतिकाफ़ करे मगर उस जगह करे जो उसने नमाज़ पढ़ने के लिए मुक़र्रर कर रखी हो।
- अगर औरत ने नमाज़ के लिए कोई जगह मुक़र्रर नहीं कर रखी है तो घर में एतिकाफ़ नहीं कर सकती अलबत्ता अगर उस वक़्त यानि जबकि एतिकाफ़ का इरादा किया किसी जगह को नमाज़ के लिए ख़ास कर लिया तो उस जगह एतिकाफ़ कर सकती है।
- एतिकाफ़-ए-मुस्तहब के लिए न रोज़ा शर्त है न उसके लिए कोई ख़ास वक़्त मुक़र्रर बल्कि जब मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत की जब तक मस्जिद में है एतिकाफ़ से है, मस्जिद के बाहर चला गया तो एतिकाफ़ ख़त्म हो गया।

नोट: जब भी मस्जिद में जाए एतिकाफ़ की नीयत कर लें। नीयत करते वक़्त यह कहे ''नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़'' — और उसके बाद थोड़ी देर कुछ इबादत भी ज़रूर करे और इसके बाद जितनी देर मस्जिद में रहेगा उतनी देर इबादत का सवाब पाएगा।

- एतिकाफ़-ए-सुन्नत यानि वह एतिकाफ़ जो रमज़ान की आख़िरी दस तारीख़ों में किया जाता है उसमें रोज़ा शर्त है। लिहाज़ा अगर किसी मरीज़ या मुसाफ़िर ने एतिकाफ़ तो किया मगर रोज़ा न रखा तो सुन्नत अदा न हुई बल्कि नफ़्ल हुआ।
- मन्नत के एतिकाफ़ में भी रोज़ा शर्त है यहाँ तक कि अगर एक महीने के एतिकाफ़ की मन्नत मानी और यह कहा कि रोज़ा नहीं रखेगा जब भी रोज़ा रखना वाजिब है।
- अगर रात के एतिकाफ़ की मन्नत मानी तो यह मन्नत सही नहीं कि रात में रोज़ा नहीं हो सकता और अगर इस तरह कहा कि "एक दिन रात का मुझ पर एतिकाफ़ है" तो यह मन्नत सही है और अगर आज के एतिकाफ़ की मन्नत मानी और खाना खा चुका है तो मन्नत सही नहीं।
- एतिकाफ़-ए-वाजिब और एतिकाफ़-ए-सुन्नत में मस्जिद से बग़ैर उज़्र निकलना हराम है, निकले तो एतिकाफ़ टूट जायेगा चाहे भूलकर ही निकला हो। इसी तरह औरत ने मस्जिद-ए-बैत (घर में जो जगह नमाज़ के लिए ख़ास कर ली हो) में एतिकाफ़े वाजिब या सुन्नत किया तो बग़ैर उज़्र वहाँ से नहीं निकल सकती अगर वहाँ से निकली चाहे घर ही में रही एतिकाफ़ जाता रहा।
- एतिकाफ़ करने वाले के लिये मस्जिद से निकलने के दो उज़्र हैं **एक हाजित-ए-तबई** जो मस्जिद में पूरी नहीं हो सकती जैसे पाख़ाना, पेशाब, इस्तिन्जा, वुज़ू और ग़ुस्ल।
- ग़ुस्ल/वुज़ू के लिये बाहर जाने की यह शर्त है कि मस्जिद में इनका इन्तिज़ाम न हो। मस्जिद में वुज़ू/ग़ुस्ल कर सकते हों तो बाहर जाने की इजाज़त नहीं।
- **दूसरा** उज़्र **हाजित-ए-शरई** है जैसे जुमा की नमाज़ के लिए या अज़ान कहने के लिए मीनार पर जाना।
- क़ज़ा-ए-हाजित यानि पेशाब-पाख़ाने को गया तो पाक होकर फ़ौरन चला आये ठहरने की इजाज़त नहीं और अगर मोतकिफ़ के दो मकान हैं एक पास दूसरा दूर तो पास वाले मकान में जाये बाज़ मशाइख़ फ़रमाते हैं दूर वाले में जायेगा तो एतिकाफ़ फ़ासिद हो जायेगा।
- दिन में भूल कर खा लेने से एतिकाफ़ फ़ासिद नहीं होता।

- एतिकाफ़ के दौरान डूबने या जलने वाले को बचाने के लिये , गवाही देने के लिये , जिहाद में जाने के लिये, मरीज़ की इयादत या नमाज़े जनाज़ा के लिए मस्जिद से बाहर गया तो इन सब सूरतों में एतिकाफ़ फ़ासिद हो गया।
- अगर मन्नत मानते वक़्त यह शर्त कर ली कि मरीज़ की इयादत,जनाज़े की नमाज़ या इल्म की मजलिस में हाज़िर होगा तो अब इनके लिए जाने से एतिकाफ़ फ़ासिद नहीं होगा। मगर ख़ाली दिल में नीयत करना काफ़ी नहीं, ज़ुबान से कहना ज़रूरी है।
- पाख़ाना, पेशाब के लिए गया था क़र्ज़ा माँगने वाले ने रोक लिया एतिकाफ़ फ़ासिद हो गया।
- एतिकाफ़ करने वाले को जिमा करना, औरत का बोसा लेना, छूना या गले लगाना हराम है इससे एतिकाफ़ फ़ासिद हो जायेगा।
- गाली-गलौच, झगड़ा करने से एतिकाफ़ फ़ासिद नहीं होता मगर बे-नूर व बे-बरकत हो जाता है।
- एतिकाफ़ करने वाले को मस्जिद में ही खाना, पीना और सोना चाहिये इन कामों के लिए मस्जिद से बाहर गये तो एतिकाफ़ ख़त्म, मगर खाने, पीने में यह एहतियात लाज़िम है कि मस्जिद में खाना या पानी गिरने से गंदगी न हो।
- **एतिकाफ़ के अलावा किसी को मस्जिद में खाने, पीने, सोने की इजाज़त नहीं**, अगर ऐसा करना चाहे तो एतिकाफ़ की नीयत करके मस्जिद में जाये और नमाज़ पढ़े या ज़िक्रे इलाही करे फिर यह काम कर सकता है। इस पर ज़रा ध्यान दें आजकल लोगों में मस्जिद का एहतराम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। मस्जिद में बैठकर इधर-उधर की बातें करते रहते हैं, बेधड़क आकर सो जाते हैं यह सब ग़लत है। इससे बचें।
- एतिकाफ़ करने वाले न तो चुप ही रहें और न कोई बुरी बात मुँह से निकाले, इबादत की नीयत से या सवाब समझकर चुप रहना मकरूहे तहरीमी है।
- एतिकाफ़ करने वाले को चाहिये कि चुप रहने या बात करने के बजाय ज़्यादा वक़्त क़ुरआन मजीद की तिलावत, हदीस शरीफ़ की क़िरात, दुरूद शरीफ़ की कसरत, इल्मे दीन की किताबें वग़ैरा पढ़ने या पढ़ाने में लगाए।

****

रोज़े की हक़ीक़त

आमतौर पर तो सुबह सादिक़ से सूरज डूबने के वक़्त तक खाने पीने और जिन्सी अमल (Sexual Act) से रुके रहने से रोज़ा अदा हो जाता है मगर सही मआनी में रोज़ा जिस्म के हिस्सों को गुनाहों से बचा कर रखने से होता है। यह छः चीज़ों से पूरा होता है।

1. नज़रों की हिफ़ाज़त

नज़र नीची रखना और जो बातें बुरी और मकरुह हैं उनकी तरफ़ से नज़र को बचाना और साथ ही उन चीज़ों को देखने से अपनी नज़र को बचाना जिनसे दिल बटता हो और अल्लाह तआला की याद से ग़ाफ़िल होता हो।

हमारे प्यारे नबी ﷺ ने फ़रमाया कि-

- *नज़र ज़हर का बुझा हुआ शैतान के तीरों में से एक तीर है। जो अल्लाह तआला के खौफ़ से उसे छोड़ देगा अल्लाह तआला उसे ऐसा इनाम इनायत फ़रमायेगा जिसकी मिठास वह अपने दिल में पाएगा।* (हाकिम में हुज़ैफ़ा رضي الله عنه से रिवायत)

2. ज़ुबान की हिफ़ाज़त

ज़ुबान को बेहूदा बातों, झूठ, चुग़लख़ोरी, ग़ीबत और बेहयाई की बातों से बचाना और ज़ुल्म, झगड़े और दूसरों की बात काटने से बचना और ऐसे मौक़ों पर ख़ामोशी इख़्तियार कर लेना। सबसे बेहतर तो यह है कि ज़िक्र-ए-इलाही और तिलावते क़ुरआन में ज़बान को लगाये रखना।

हदीस शरीफ़ में आप ﷺ के फ़रमान हैं कि-

- *यह चीज़ें रोज़ा तोड़ती हैं झूठ, चुग़ली, ग़ीबत, बेहयाई।*
- *रोज़ा ढाल है जब तुम में से कोई रोज़ा रखे तो बेहयाई की बातें न करे ,न झगड़ा करे अगर कोई उससे लड़ाई करे या गाली दे तो उससे कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ।*

(बुख़ारी, मुस्लिम में अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत)

ग़ीबत के बारे में हुज़ूर ﷺ के ज़माना-ए-मुबारक की एक हिकायत:

हुज़ूर ﷺ के ज़माना-ए-मुबारक में दो औरतों ने रोज़ा रखा और शाम होने तक वो भूख और प्यास से इतनी बेहाल हुईं कि मरने के क़रीब हो गईं, उन्होंने हुज़ूर ﷺ की ख़िदमत में एक शख़्स को भेज कर इफ़्तार की इजाज़त चाही, आप ﷺ ने उनके पास एक प्याला भेजा और इरशाद फ़रमाया कि उन दोनो को कहना कि जो कुछ तुमने खाया हो इस प्याले में क़ै (उल्टी) कर दो, जब दोनों ने क़ै की तो प्याला ताज़ा ख़ून और ताज़ा गोश्त से भर गया लोगों ने यह देख कर तआज्जुब किया। हुज़ूर ﷺ ने फ़रमाया कि उन दोनों ने अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों से रोज़ा रखा और अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से इफ़्तार किया। एक दूसरी के पास बैठ गई, उन दोनो ने लोगों की ग़ीबत शुरू की। यह गोश्त प्याले में वह ही है जो उन दोनो ने लोगों की ग़ीबत करके खाया।

3. बुरी बात सुनने से कानों को बचाना

बुरी बात सुनने से अपने कानों को बचाना इस बारे में यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जिस बात का बोलना हराम है उनका सुनना भी हराम है।

- *हुज़ूर ﷺ ने फ़रमाया कि ग़ीबत करने वाला और सुनने वाला गुनाह में दोनो शरीक हैं।* (तबरानी में इब्ने उमर رضي الله عنه से रिवायत)

4. सिर्फ़ हलाल रिज़्क़ का इस्तेमाल करना

इफ़्तार के वक़्त हलाल की कमाई से हासिल की हुई खाने की हलाल चीज़ों का ही इस्तेमाल करना। साथ ही हाथ पाँव और दूसरे हिस्सों को बुरी बातों से रोकना। बेहतर यह है कि शक वाली चीज़ें इफ़्तार में इस्तेमाल न करें क्योंकि दिन भर तो हलाल खाने से भी रुका रहे और इफ़्तार हराम चीज़ों से किया जाये तो ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं।

- *हुज़ूर ﷺ ने फ़रमाया कि बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिनके रोज़े का हासिल सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी नहीं है।* (निसाई में इब्ने मसूद رضي الله عنه से रिवायत)

इस हदीस के बारे में आलिमों की अलग-अलग राय हैं, कुछ के मुताबिक़ यह उस शख़्स के बारे में है जो हराम खाने से इफ़्तार करे। कुछ कहते हैं कि यह उस

शख़्स के बारे में है जो लोगों के गोश्त से इफ़्तार करे (यानि ग़ीबत करे)। कुछ का मानना है कि इससे मुराद वह शख़्स है जो अपने आज़ा को गुनाहों से न बचाये।

5. हलाल रिज़्क़ भी कम इस्तेमाल करना

इफ़्तार के वक़्त हलाल भी ज़्यादा न खाये कि पेट फूल जाये क्योंकि अल्लाह के नज़दीक कोई बरतन इतना बुरा नही जितना बुरा पेट है जिसे हलाल रिज़्क़ से भर दिया गया हो। अक्सर ऐसा होता है कि रोज़े में बहुत सी क़िस्म के खाने सहरी और इफ़्तारी के लिये बनाये जाते हैं और रमज़ान में इतना खा जाते हैं कि आम दिनों में कई महीनों में भी न खायें। ज़ाहिर है कि रोज़े का मक़सद पेट को ख़ाली रखना और नफ़्स की ख़्वाहिश को तोड़ना है। रोज़े से मुराद यह है कि नफ़्स परहेज़गार हो जाये। जब दिन भर मेदे को ख़ाली रख कर शाम को ख़ूब पेट भर कर लज़ीज़ खाने खाये जायें तो नफ़्सानी ख़्वाहिशात और ताक़तवर हो जाती हैं जिससे रोज़े का मक़सद ख़त्म हो जाता है। रोज़े की अस्ल रुह यह है कि बुराइयाँ पैदा करने वाली चीज़ें कमज़ोर पड़ें और शैतान के वार बेकार हों और यह रुह तभी हासिल होती है जब ग़िज़ा में कमी की जाये। रोज़े में बेहतर तो यह है कि दिन को बहुत न सोयें ताकि भूख और प्यास का पता चले और कमज़ोरी महसूस हो। कम खाने से रात को भी हल्का महसूस करेगा जिससे तहज्जुद और दूसरे वज़ाइफ़ अदा करने में भी आसानी होगी। इस तरह शैतान उसके आस-पास नही भटकेगा और मुमकिन है कि वह आसमान के फ़रिश्तों को देख ले । लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिये कि इसके लिये ख़ाली पेट काफ़ी नहीं बल्कि यह भी ज़रूरी है कि अपना दिल ग़ैर-अल्लाह से ख़ाली रखे यानि अल्लाह के सिवा किसी का ख़्याल दिल में न हो और यही अस्ल है।

6. इफ़्तार के बाद दिल में ख़ौफ़ और उम्मीद के मिले-जुले असरात होना

ख़ौफ़ इस वजह से कि कहीं किसी ग़लती या कमी की वजह से उसका रोज़ा क़ुबूल न हुआ हो, जिसकी वजह से उस पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो । साथ ही यह उम्मीद भी रखनी चाहिये कि अल्लाह तआला उसका रोज़ा क़ुबूल फ़रमा कर उससे राज़ी हो जायेगा और अपने क़ुर्ब वाले बन्दों में शामिल करेगा ।

****

नमाज़-ए-तरावीह

तरावीह मर्द व औरत सब के लिए सुन्नत-ए-मौअक्कदा है इसका छोड़ना जाइज़ नहीं। ख़ुद हुज़ूरﷺ ने भी तरावीह पढ़ी और उसे बहुत पसंद फ़रमाया। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा رضي الله عنه से मरवी इरशाद फ़रमाते हैं *जो रमज़ान में क़ियाम करे ईमान की वजह से और सवाब तलब करने के लिए उसके अगले गुनाह बख़्श दिये जायेंगे यानि सग़ीरा (छोटे-छोटे गुनाह)* ।

फिर हुज़ूरﷺ ने इस अन्देशे से कि उम्मत पर फ़र्ज़ न हो जाये तर्क फ़रमाई। फिर फ़ारूक़े आज़म رضي الله عنه रमज़ान में एक रात मस्जिद में तशरीफ़ ले गये और लोगों को अलग-अलग नमाज़ पढ़ते पाया। फ़रमाया मैं मुनासिब जानता हूँ कि इन सबको एक इमाम के साथ जमा कर दूँ तो बेहतर हो। सब को एक इमाम उबई इब्ने कअब رضي الله عنه के साथ इकट्ठा कर दिया फिर दूसरे दिन तशरीफ़ ले गये तो देखा कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो फ़रमाया यह अच्छी बिदअत है।

तरावीह के ज़रूरी मसाइल

- ज़्यादातर उलमा-ए-किराम के नज़दीक तरावीह की बीस रकअतें हैं और यही अहादीस से साबित है।
- इसका वक़्त इशा के फ़र्ज़ों के बाद से तुलू-ए-फ़ज्र तक है।
- तरावीह वित्र से पहले भी हो सकती है और बाद में भी।
- अगर किसी शख़्स की तरावीह की कुछ रकअतें बाक़ी रह गईं और इमाम ने वित्र पढ़ना शुरू कर दिया तो इमाम के साथ वित्र पढ़ लें फिर बाक़ी अदा कर लें जबकि फ़र्ज़ जमाअत से पढ़े हों यह अफ़ज़ल है,अगर तरावीह पूरी करके वित्र तन्हा पढ़े तो भी जाइज़ है।
- तरावीह के लिये पहले इशा की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी हैं|
- अगर भूल से इशा की नमाज़ बिना तहारत पढ़ ली और तरावीह व वित्र तहारत के साथ तो इशा व तरावीह फिर पढ़ें वित्र हो गये।

- मुस्तहब यह है कि तिहाई रात तक देर करें, आधी रात के बाद पढ़ें तब भी कराहत नहीं।
- तरावीह की क़ज़ा नहीं यानि अगर छूट गईं और वक़्त ख़त्म हो गया तो नहीं पढ़ सकते।
- तरावीह की बीस रकअतें दस सलाम से पढ़ें यानि हर दो रकअत पर सलाम फेरें और अगर किसी ने बीसों रकअतें पढ़कर आख़िर में सलाम फेरा तो अगर हर दो रकअत पर क़ादा करता रहा (यानि तशह्हुद पढ़ता रहा) तो हो जायेगी मगर कराहत के साथ और अगर क़ादा न किया था तो सिर्फ़ दो रकअत तरावीह हुईं।
- एहतियात यह है कि जब दो रकअत पर सलाम फेरें तो हर दो रकअत पर अलग-अलग नीयत करें और अगर एक साथ बीसों रकआत की नीयत कर ली तो भी जाइज़ है।
- तरावीह में एक बार क़ुरआन पाक ख़त्म करना सुन्नत-ए-मौअक्कदा है।
- अगर क़ुरआन पाक पहले ख़त्म हो गया तो तरावीह आख़िर रमज़ान तक बराबर पढ़ते रहें क्योंकि यह सुन्नत-ए-मौअक्कदा है।
- क़िरात और अरकान की अदायगी में जल्दी करना मकरूह है, तरतील (यानि ठहर-ठहर कर) बेहतर है। इसी तरह **अऊज़ुबिल्लाहि** व **बिस्मिल्लाह** को भी इत्मिनान से पढ़ें और तस्बीह वग़ैरा का छोड़ देना भी मकरूह है।
- हर चार रकआत पर इतनी देर तक बैठना मुस्तहब है जितनी देर में चार रकअतें पढ़ें। बीसों रकअतें पढ़ने के बाद अगर भारी हो तो न बैठें।
- तरावीह में हर चार रकआत एक "*तरवीहा*" है। इस तरह बीस रकआत में पाँच तरवीहा हुईं।
- हर चार रकअत के दरमियान जब बैठें चाहे ख़ामोश रहें या कलिमा, दुरूद शरीफ़ पढ़ते रहें, तिलावत करें या चार रकअतें तन्हा नफ़्ल पढ़ें जमाअत से मकरूह है।

- हर चार रकअत तरावीह के बाद बैठ कर नीचे दी हुई तस्बीह पढ़ें।

سُبْحَانَ ذِی الْمُلْکِ وَالْمَلَکُوْتِ ط

سُبْحَانَ ذِی الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْھَیْبَةِ

وَالْقُدْرَةِ وَالْکِبْرِیَآءِ وَالْجَبَرُوْتِ ط

سُبْحَانَ الْمَلِکِ الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَنَامُ وَلَا یَمُوْتُ ط

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِکَةِ وَالرُّوْحِ ط

اَللّٰھُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیْرُ یَا مُجِیْرُ یَا مُجِیْرُ ط

- तरावीह में जमाअत सुन्नत-ए-किफ़ाया है कि अगर मस्जिद के सब लोग छोड़ देंगे तो सब गुनाहगार होंगे और अगर किसी एक ने घर में तन्हा पढ़ ली तो गुनाहगार नहीं। बिला उज़्र जमाअत छोड़ने की भी इजाज़त नहीं।
- तरावीह मस्जिद में बा-जमाअत पढ़ना अफ़ज़ल है अगर घर में जमाअत से पढ़ी तो जमाअत के छोड़ने का गुनाह नहीं, मगर मस्जिद में पढ़ने जैसा सवाब नहीं मिलेगा।
- अगर आलिम हाफ़िज़ भी हो तो अफ़ज़ल यह है कि ख़ुद पढ़ें दूसरे की इक़्तिदा न करें और अगर इमाम ग़लत पढ़ता हो तो मुहल्ले की मस्जिद

छोड़ कर दूसरी मस्जिद में जाने में हर्ज नहीं। यूँ ही अगर दूसरी जगह का इमाम ख़ुश आवाज़ हो या हल्की क़िरात पढ़ता हो या मुहल्ले की मस्जिद में ख़त्म नहीं होगा तो दूसरी मस्जिद में जाना जाइज़ है।

- **अच्छी आवाज़ से पढ़ने वाले को इमाम बनाना ज़रूरी नहीं बल्कि सही क़ुरआन पढ़ने वाले को इमाम बनायें।**
- नाबालिग़ के पीछे बालिग़ों की तरावीह नहीं होगी।
- रमज़ान शरीफ़ में वित्र जमाअत के साथ पढ़ना अफ़ज़ल है चाहे उसी इमाम के पीछे जिसके पीछे इशा व तरावीह पढ़ी या दूसरे के पीछे।
- यह जाइज़ है कि एक शख़्स इशा व वित्र पढ़ाए दूसरा तरावीह।
- अगर इशा जमाअत से पढ़ी और तरावीह अकेले तो वित्र जमाअत से पढ़ सकता है। अगर इशा बिना जमाअत पढ़ी तो वित्र अकेले पढ़ें।
- तरावीह बैठ कर पढ़ना मकरूह है बल्कि कुछ के नज़दीक तो हुई नहीं।
- मुक़तदी को यह जाइज़ नहीं कि बैठा रहे और जब इमाम रुकू करने को हो तो खड़ा हो जाए कि यह मुनाफ़िक़ों से मुशाबहत है यानि मुनाफ़िक़ों का तरीक़ा है। अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है:- "**मुनाफ़िक़ जब नमाज़ को खड़े होते हैं तो थके जी से**"।
- तरावीह में अक्सर देखा जाता है कि इमाम के क़िरात करते वक़्त कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, कुछ चाय-पानी में लग जाते हैं और जब इमाम रुकू में जाते हैं तो दौड़ कर जमाअत में शामिल हो जाते हैं यह नाजाइज़ है, क्योंकि क़ुरआन पाक सुनना फ़र्ज़ है।
- दो रकअत पर बैठना भूल गया और खड़ा हो गया तो जब तक तीसरी का सजदा नहीं किया बैठ जाए और सजदा कर लिया हो तो चार पूरी करे मगर दो रकअत ही मानी जायेंगी।
- इमाम से ग़लती हुई कोई सूरत या आयत छूट गई तो मुस्तहब यह है कि उसे पहले पढ़कर फिर आगे पढ़ें।

- अगर किसी वजह से नमाज़े तरावीह फ़ासिद हो जायें तो जितना क़ुरआन मजीद इन रकअतों में पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ें ताकि ख़त्म में नुक़सान न रहे।
- तीन रकआत पढ़ कर सलाम फेरा अगर दूसरी पर बैठा नहीं था तो न हुई इनके बदले की दो रकआत फिर पढ़ें।
- वित्र पढ़ने के बाद लोगों को याद आया कि दो रकअतें रह गयीं तो जमाअत से पढ़ लें और आज याद आया कि कल दो रकअतें रह गईं थीं तो जमाअत से पढ़ना मकरूह है।
- सलाम फेरने के बाद कोई कहता है दो हुईं कोई कहता है तीन, तो इमाम के इल्म में जो हो उसका ऐतबार है और इमाम को किसी बात का यक़ीन न हो तो जिसको सच्चा जानता हो उसके क़ौल का ऐतबार करें, अगर इसमें जिन लोगों को शक हो तो दो रकअत तन्हा-तन्हा पढ़ें।
- अगर किसी वजह से ख़त्म न हो तो सूरतों की तरावीह पढ़ें।

फ़ायदा:- हमारे इमामे आज़म رحمۃ اللہ علیہ रमज़ान शरीफ़ में इकसठ (61) क़ुरआन पाक ख़त्म किया करते थे। तीस दिन में और तीस रात में और एक तरावीह में और पैंतालीस (45) साल इशा के वुज़ू से नमाज़े फ़ज्र पढ़ी है।

****

सदक़ा-ए- फ़ित्र

हर वह शख़्स जिस के पास अपनी अस्ल हाजत से ज़्यादा माल या सामान है उस पर सदक़ा-ए-फ़ित्र वाजिब है। यह रोज़ों का सदक़ा है। इसे ईद की नमाज़ से पहले अदा कर देना चाहिये क्योंकि जब तक फ़ितरा अदा न किया जाये तो रोज़े आसमान और ज़मीन के बीच मुअल्लक़ रहते हैं।

सदका-ए-फ़ित्र के बारे में नबी-ए-करीमﷺ की कुछ अहादीस-

- *रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़काते फ़ित्र एक साअ खजूर या जौ, ग़ुलाम व आज़ाद मर्द व औरत छोटे और बड़े मुसलमान पर मुक़र्रर की और यह हुक्म फ़रमाया कि* (ईद की) *नमाज़ को जाने से पहले अदा कर दे।* (साअः अरब में नापने का पैमाना या यूनिट)

(सही बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने उमर ﷺ से मरवी कि)

- *अपने रोज़े का सदक़ा अदा करो इस सदक़े को रसूलुल्लाह ﷺ ने मुक़र्रर फ़रमाया एक साअ ख़ुर्मा या जौ या आधा साअ गेहूँ।*

(अबू दाऊद व नसई की रिवायत में है कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ﷺ ने आख़िर रमज़ान में फ़रमाया)

- *हुज़ूर अक़दस ﷺ ने एक शख़्स को भेजा कि मक्का के कूचों में ऐलान कर दे कि सदक़ा-ए-फ़ित्र वाजिब है।*

(तिर्मिज़ी शरीफ़ में ब-रिवायते अम्र इब्ने शुऐब अन अबीहे अन जद्देही)

- *रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़काते फ़ित्र मुक़र्रर फ़रमाई कि लग़्व और बेहूदा कलाम से रोज़े की तहारत हो जाए और मिस्कीनों की ख़ुरिश* (ख़ुराक वग़ैरा) *हो जाए।*

(अबू दाऊद व इब्ने माजा व हाकिम इब्ने अब्बास ﷺ से मरवी)

- *हुज़ूर ﷺ ने फ़रमाया कि बन्दे का रोज़ा आसमान व ज़मीन में मुअल्लक़ (लटका) रहता है जब तक कि सदक़ा-ए-फ़ित्र अदा न करे।*

(दैलमी व ख़तीब व इब्ने असाकिर अनसﷺ से रिवायत)

सदक़ा-ए-फ़ित्र के बारे में ज़रूरी मसाइल

- सदक़ा-ए-फ़ित्र वाजिब है। इसे ईद की नमाज़ से पहले अदा करना मसनून (बेहतर) है। यह कभी साक़ित यानि ख़त्म नहीं होता और उम्र भर ज़िम्मे रहेगा जब तक अदा नहीं किया। अदा नहीं किया हो तो फ़ौरन अदा कर दें। इसकी क़ज़ा नहीं बाद में भी अदा ही है।

सदक़ा-ए-फ़ित्र कब वाजिब होता है?

- ईद के दिन सुबह सादिक़ यानि फ़ज्र का वक़्त शुरू होते ही सदक़ा-ए-फ़ित्र वाजिब हो जाता है।
- अगर कोई शख़्स सुबह सादिक़ होने से पहले मर गया तो फ़ितरा वाजिब नहीं हुआ लेकिन सुबह सादिक़ तुलू होने के बाद मरा तो उसका फ़ितरा अदा करना वाजिब है।
- अगर कोई शख़्स ग़नी था सुबह सादिक़ होने से पहले फ़क़ीर हो गया तो फ़ितरा वाजिब नहीं हुआ, लेकिन सुबह सादिक़ तुलू होने के बाद फ़क़ीर हुआ तो फ़ितरा वाजिब हो गया।
- इसी तरह कोई शख़्स फ़क़ीर था सुबह सादिक़ होने से पहले ग़नी हुआ तो उस पर फ़ितरा वाजिब है
- अगर सुबह सादिक़ होने से पहले कोई काफ़िर मुसलमान हुआ या कोई बच्चा पैदा हुआ तो फ़ितरा वाजिब हो गया, लेकिन सुबह सादिक़ होने के बाद काफ़िर मुसलमान हुआ या बच्चा पैदा हुआ तो फ़ितरा वाजिब नहीं हुआ।

सदक़ा-ए-फ़ित्र किस पर वाजिब है?

- सदक़ा-ए-फ़ित्र हर आज़ाद मुसलमान मालिक-ए-निसाब पर वाजिब है जिसकी निसाब हाजत-ए-असलिया से फ़ारिग़ हो यानि उसका माल उसकी अस्ल हाजत से ज़्यादा हो। उसमें आक़िल, बालिग़ और **माल-ए-नामी** यानि बढ़ने वाले माल का होना शर्त नहीं।

- **मालिक-ए-निसाबः** मालिक-ए-निसाब होने का मतलब है कि किसी शख़्स के पास साढ़े बावन (52.5) तोला (यानि लगभग 612 ग्राम) चाँदी, उतनी रक़म या उतनी ही क़ीमत का माल व सामान उसकी अस्ल हाजत से ज़्यादा हो।
- **हाजत-ए-असलियाः** वह चीज़ें जिनकी ज़िन्दगी बसर करने में आदमी को ज़रूरत होती है। उन चीज़ों पर ज़कात वाजिब नहीं जैसे रहने का मकान, सर्दियों और गर्मियों में पहनने के कपड़े, घर की ज़रूरत के सामान, सवारी या सवारी के जानवर, खिदमत के लिए लौंडी ग़ुलाम, आलाते हर्ब यानि लड़ाई के लिए हथियार, पेशावरों के औज़ार, इल्म वालों के लिए ज़रूरत की किताबें, खाने के लिए अनाज।
- **माल-ए-नामीः** यानि बढ़ने वाला माल चाहे हक़ीक़त में बढ़े या हुक्मन यानि अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ाए और वह माल उसके या उसके नाइब के क़ब्ज़े में हो। जैसे सोना, चाँदी, तिजारत का माल, वह मकान, ज़मीन या प्लाट वग़ैरा जो किराये पर देने के लिये या फ़ायदा लेकर बेचने के लिये हो, चराई पर छूटे जानवर।
- सदक़ा-ए-फ़ित्र अदा करना शख़्स पर वाजिब है उसके माल पर नहीं लिहाज़ा मर गया तो उसके माल से अदा नहीं किया जाएगा लेकिन अगर वारिस एहसान के तौर पर अपनी तरफ़ से अदा करें तो हो सकता है, उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर वसीयत कर गया है तो तिहाई माल से ज़रूर अदा किया जाएगा चाहे वारिस राज़ी न हों।
- नाबालिग़ या मजनून (पागल) अगर मालिक-ए-निसाब है तो उन पर सदक़ा-ए-फ़ित्र वाजिब है उनका वली उनके माल से अदा करे अगर वली ने अदा नहीं किया और नाबालिग़ बालिग़ हो गया या पागल का पागलपन जाता रहा तो अब यह ख़ुद अदा कर दें और अगर यह ख़ुद मालिक-ए-निसाब न थे और वली ने अदा न किया तो बालिग़ होने या होश में आने पर उनके ज़िम्मे अदा करना नहीं।

- सदक़ा-ए-फ़ित्र अदा करने के लिए माल का बाक़ी रहना भी शर्त नहीं माल नहीं रहा जब भी सदक़ा-ए-फ़ित्र वाजिब रहेगा साक़ित न होगा जबकि ज़कात व उश्र माल हलाक हो जाने से साक़ित हो जाते हैं।
- **मर्द मालिक-ए-निसाब पर अपने और अपने छोटे बच्चों की तरफ़ से फ़ितरा अदा करना वाजिब है,** जबकि बच्चा ख़ुद मालिक-ए-निसाब न हो वरना उसका फ़ितरा उसी के माल से अदा किया जाए।
- मजनून औलाद चाहे बालिग़ हो लेकिन ग़नी न हो तो उसका सदक़ा-ए-फ़ित्र उसके बाप पर वाजिब है और ग़नी हो तो ख़ुद उसके माल से अदा किया जाए, जुनून चाहे असली हो यानि उसी हालत में बालिग़ हुआ या बाद को हुआ दोनों का एक हुक्म है।
- सदक़ा-ए-फ़ित्र वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं अगर किसी उज़्र, सफ़र, मर्ज़ या बुढ़ापे की वजह से या मआज़ल्लाह बिला उज़्र रोज़ा न रखा जब भी वाजिब है।
- बाप न हो तो दादा बाप की जगह है यानि अपने ग़रीब व यतीम पोता-पोती की तरफ़ से उस पर सदक़ा-ए-फ़ित्र देना वाजिब है।
- माँ पर अपने छोटे बच्चों की तरफ़ से सदक़ा-ए-फ़ित्र देना वाजिब नहीं।
- अपनी औरत और औलाद आक़िल, बालिग़ का फ़ितरा उसके ज़िम्मे नहीं अगर्चे अपाहिज हों अगर्चे उसके ख़र्चे उसके ज़िम्मे हों।
- औरत या बालिग़ औलाद का फ़ितरा उनके बग़ैर इजाज़त अदा कर दिया तो अदा हो गया बशर्ते कि औलाद का ख़र्चा वग़ैरा उसके ज़िम्मे हो वरना औलाद की तरफ़ से बिना इजाज़त अदा नहीं होगा।
- औरत ने अगर शौहर का फ़ितरा बग़ैर हुक्म अदा कर दिया अदा नहीं हुआ।
- माँ-बाप, दादा-दादी नाबालिग़ भाई और दूसरे रिश्तेदारों का फ़ितरा इसके ज़िम्मे नहीं और बग़ैर हुक्म अदा भी नहीं कर सकता।

सदक़ा-ए-फ़ित्र कितना अदा करें?

- सदक़ा-ए-फ़ित्र गेहूँ या उसका आटा या सत्तू आधा साअ और खजूर या मुनक़्क़ा या जौ या उसका आटा या सत्तू एक साअ मुक़र्रर है।
- **आमतौर पर सदक़ा-ए-फ़ित्र गेहूँ के वज़न के हिसाब से अदा किया जाता है जो 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या आटा या उसके बराबर रक़म है।**

(नोटः- गेहूँ का वज़न उसकी क्वालिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है लिहाज़ा सदक़ा-ए-फ़ित्र की अदायगी के वक़्त यह ख़्याल रखना चाहिये कि थोड़ा ज़्यादा हो जाये, पर कम न हो क्योंकि कम होने की सूरत में सदक़ा-ए-फ़ित्र अदा ही नहीं होगा)

ज़रूरी मसाइल

- गेहूँ और जौ देने के बजाय उनका आटा देना अफ़ज़ल है और उससे भी अफ़ज़ल यह कि उसकी क़ीमत दे दें। क़ीमत अदा करने में इसका लिहाज़ रखें कि बेहतरीन क़िस्म के गेहूँ वग़ैरा की क़ीमत दें।
- इन चार चीज़ों के अलावा अगर दूसरी चीज़ों से फ़ितरा अदा करना चाहे मसलन चावल, ज्वार, बाजरा या और कोई ग़ल्ला या और कोई चीज़ देना चाहे तो क़ीमत का लिहाज़ करना होगा यानि वह चीज़ आधे साअ गेहूँ या एक साअ जौ की क़ीमत की हो यहाँ तक कि रोटी दें तो उसमें भी क़ीमत का लिहाज़ किया जाएगा अगर्चे गेहूँ या जौ की हो।
- फ़ितरे का वाजिब होने से पहले एडवांस में देना भी जाइज़ है जबकि वह शख़्स मौजूद हो जिसकी तरफ़ से अदा किया जा रहा हो चाहे रमज़ान से पहले अदा कर दे और अगर फ़ितरा अदा करते वक़्त मालिक-ए-निसाब न था फिर हो गया तो फ़ितरा सही है और बेहतर यह है कि ईद की सुबह सादिक़ होने बाद और ईदगाह जाने से पहले अदा कर दे।
- एक शख़्स का फ़ितरा एक मिस्कीन को देना बेहतर है और एक से ज़्यादा मिस्कीनों को भी दे दिया जब भी जाइज़ है इसी तरह एक मिस्कीन को एक से ज़्यादा लोगों का फ़ितरा देना भी जाइज़ है अगर्चे सब फ़ितरे मिले हुए हों।

- शौहर ने औरत को अपना फ़ितरा अदा करने का हुक्म दिया उसने शौहर के फ़ितरे के गेहूँ अपने फ़ितरे के गेहूँ में मिला कर फ़क़ीर को दे दिए और शौहर ने मिलाने का हुक्म न दिया था तो औरत का फ़ितरा अदा हो गया शौहर का नहीं मगर जबकि मिला देने पर उर्फ़ जारी हो यानि ऐसा होता रहता हो तो शौहर का भी अदा हो जाएगा।
- औरत ने शौहर को अपना फ़ितरा अदा करने की इजाज़त दी, उसने औरत के गेहूँ अपने गेहूँ में मिलाकर सब की नीयत से फ़क़ीर को दे दिए जाइज़ है।
- अपने ग़ुलाम की औरत को फ़ितरा दे सकते हैं चाहे उसका ख़र्चा उसी पर हो।

सदक़ा-ए-फ़ित्र किन लोगों को दिया जा सकता है किन को नहीं-
अल्लाह तआला फ़रमाता है:-

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ
فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

तर्जमा: अमवाल-ए-ज़कात सिर्फ़ फ़क़ीरों और मिस्कीनों के लिये हैं और जो उन्हें वुसूल करने पर मुक़र्रर किये गये और जिन के दिलों को इस्लाम से मानूस करना मक़सूद हो और (ग़ुलामी से) गर्दनें आजाद कराने में और क़र्ज़दारों के लिये और अल्लाह की राह में और मुसाफ़िरों के लिये मुक़र्रर किये हुए (सदक़ात) हैं अल्लाह की तरफ़ से और अल्लाह बहुत जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है।

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि-

- *अल्लाह तआला ने सदक़ात को नबी या किसी और के हुक्म पर नहीं रखा बल्कि उसने ख़ुद इसका हुक्म बयान फ़रमाया और इसके आठ हिस्से किये।* (सुनने अबू दाऊद में ज़्याद इब्ने हारिस सुदाई رضي الله عنه से मरवी)
- *सदक़ा-ए-मफ़रूज़ा (जो सदक़ा फ़र्ज़ हो जैसे ज़कात) में औलाद और वालिद का हक़ नहीं।* (बैहक़ी ने हज़रत मौला अली رضي الله عنه से रिवायत की)
- *आले मुहम्मद ﷺ के लिए सदक़ा जाइज़ नहीं कि यह तो आदमियों के मैल हैं।* (इमाम अहमद व मुस्लिम मुत्तलिब इब्ने रबीआ رضي الله عنه से रावी)
- हुज़ूर ﷺ ने फ़रमाया अल्लाह तआला ने मुझ पर और मेरे अहले बैत पर सदक़ा हराम फ़रमा दिया। (इब्ने सआद की रिवायत इमाम हसन मुजतबा رضي الله عنه से)

इन लोगों को सदक़े दिये जा सकते हैं-

फ़क़ीर:- फ़क़ीर वह शख़्स है जिस के पास कुछ हो मगर इतना न हो कि निसाब को पहुँच जाए या निसाब के बराबर हो भी तो उसकी अस्ल हाजत पूरी करने के लायक़ हो जैसे रहने के लिये मकान, पहनने के कपड़े ख़िदमत के लिये लौंडी, ग़ुलाम। इल्मी शुग़ल रखने वाले की दीनी किताबें जो उसकी हाजत से ज़्यादा न हों। इसी तरह **कर्ज़दार** है और क़र्ज़ निकालने के बाद निसाब बाक़ी न रहे तो फ़क़ीर है अगर्चे उसके पास इतना माल हो कि एक तो क्या कई निसाब हो जायें।

मिस्कीन:- मिस्कीन वह है जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छिपाने के लिये इसका मोहताज है कि लोगों से सवाल करे।

आमिल:- आमिल वह है जिसे ज़कात वुसूल करने के लिए मुक़र्रर किया जाता है। **आमिल को सदक़ा-ए-फ़ित्र नहीं दे सकते** ।

रिक़ाब:- रिक़ाब उस ग़ुलाम को कहते हैं जिसे मालिक ने यह कह दिया हो कि रुपया दे दो तो तुम आज़ाद हो। तो उसे सदक़े के रुपये इसलिये देना कि अपने आप को आज़ाद करा सके और ग़ुलामी से अपनी गर्दन रिहा करे।

ग़ारिम:- ग़ारिम से मुराद क़र्ज़दार है यानि उस पर इतना क़र्ज़ा हो कि उसे निकालने के बाद निसाब बाक़ी न रहे अगर्चे उसका औरों पर बाक़ी हो मगर लेने पर क़ादिर न हो मगर शर्त यह है कि क़र्ज़दार हाशिमी न हो।

फ़ीसबीलिल्लाह:- फ़ीसबीलिल्लाह यानि राहे ख़ुदा में ख़र्च करना। जैसे जिहाद के लिये, इल्म-ए-दीन पढ़ने या पढ़ाने वाले के लिये या इसी तरह हर नेक बात में फ़ितरा या ज़कात ख़र्च करना फ़ीसबीलिल्लाह है जबकि ब-तौरे तमलीक हो कि बग़ैर तमलीक फ़ितरा या ज़कात अदा नहीं हो सकती।

इब्नुस्सबील:- वह मुसलमान मुसाफ़िर जिसके पास माल नहीं रहा फ़ितरा ज़कात ले सकता है अगर्चे इसके घर पर माल मौजूद हो मगर उतना ही ले जिससे हाजत पूरी हो जाये ज़्यादा की इजाज़त नहीं, इसी तरह अगर मालिके निसाब ने अपना माल किसी को क़र्ज़ दे दिया और अभी वह क़र्ज़ वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं तो वह भी अस्ल हाजत के लिये फ़ितरा या ज़कात ले सकता है।

ज़रूरी मसाइल

- सदक़ा-ए-फ़ित्र ऊपर दिये गये लोगों को दिया जा सकता है सिवाय उन लोगों के जो ज़कात लेने के लिये मुक़र्रर किये जाते हैं जिन्हें **आमिल** कहते हैं। उनके लिए ज़कात है फ़ितरा नहीं।
- फ़क़ीर अगर आलिम हो तो उसे देना जाहिल को देने से अफ़ज़ल है। मगर आलिम को देने में अदब का लिहाज़ रखें, जैसे छोटे बड़ों को नज़र देते हैं और मआज़ अल्लाह आलिम-ए-दीन की हिक़ारत (ज़िल्लत) अगर दिल में आई तो यह हलाकत और बर्बादी है।
- मिस्कीन यानि जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छिपाने के लिये भी कुछ नहीं उसे सवाल (यानि मांगना) हलाल है फ़क़ीर को सवाल नाजाइज़ क्योंकि जिसके पास खाने और बदन छिपाने को हो उसे बग़ैर ज़रूरत व मजबूरी सवाल हराम है।

- बहुत से लोग फ़ितरा या ज़कात इस्लामी मदारिस को देते हैं उनको चाहिये कि मदरसे के मुतवल्ली को बता दें ताकि मुतवल्ली उस माल को अलग रखे और दूसरे माल में न मिलाये और सिर्फ़ ग़रीब तलबा पर ख़र्च करे किसी काम की मज़दूरी वग़ैरा में न दे वरना ज़कात अदा नहीं होगी।
- बहू और दामाद और सौतेली माँ या सौतेले बाप या बीवी की औलाद या शौहर की औलाद को दे सकते हैं और रिश्तेदारों में जिसका ख़र्चा इसके ज़िम्मे वाजिब है उसे भी फ़ितरा व ज़कात दे सकते हैं जबकि ख़र्चे में शुमार न करे।
- सही तन्दरुस्त को दे सकते हैं अगर्चे कमाने पर क़ुदरत रखता हो मगर सवाल करना इसे जाइज़ नहीं।
- ग़नी मर्द के नाबालिग़ बच्चे को भी नहीं दे सकते और ग़नी की बालिग़ औलाद को दे सकते हैं जबकि फ़क़ीर हों।
- माँ हाशिमी बल्कि सैदानी हो और बाप हाशिमी न हो तो वह हाशिमी नहीं कि शरा में नस्ब बाप से है। लिहाज़ा ऐसे शख़्स को दे सकते हैं अगर कोई दूसरी रुकावट न हो।
- **जिन लोगों के बारे में बयान किया गया कि इन्हें फ़ितरा ज़कात दे सकते हैं उन सब का फ़क़ीर होना शर्त है।**
- अगर बिना सोचे समझे दे दिया यानि यह ख़्याल नहीं आया कि इसे दे सकते हैं या नहीं और बाद में मालूम हुआ कि इसे नहीं दे सकते थे तो अदा न हुई।

सदक़ा-ए-फ़ित्र व ज़कात वग़ैरा क़रीबी रिश्तेदारों को देना अफ़ज़ल

- सदक़ा-ए-फ़ित्र व ज़कात वग़ैरा सदक़ात में अफ़ज़ल यह है कि पहले अपने भाइयों बहनों को दें, फिर इनकी औलाद को, फिर चचा और फूफियों को, फिर इनकी औलाद को, फिर मामू और ख़ाला को, फिर

इनकी औलाद को, फिर रिश्ते वालों को, फिर पड़ोसियों को, फिर अपने पेशा वालों को, फिर अपने शहर या गाँव के रहने वालों को।

- हदीस में है कि **नबीﷺ ने फ़रमाया-** *"ऐ उम्मते मुहम्मद! क़सम है उसकी जिसने मुझे ह़क़ के साथ भेजा अल्लाह तआला उस शख़्स के सदक़े को क़बूल नहीं फ़रमाता जिसके रिश्तेदार उसके सुलूक करने के मोहताज हों और यह ग़ैरों को दे। क़सम है उसकी जिसके दस्ते क़ुदरत में मेरी जान है अल्लाह तआला उसकी तरफ़ क़यामत के दिन नज़रे रहमत नहीं फ़रमायेगा"*।

इन लोगों को सदक़ा यानि फ़ितरा ज़कात वग़ैरा नहीं दे सकते

- बनी हाशिम जैसे सय्यद वग़ैरा को सदक़ात जैसे फ़ितरा व ज़कात वग़ैरा नहीं दे सकते न ग़ैर उन्हें दे सकता है और न ही एक हाशिमी दूसरे हाशिमी को। बनी हाशिम से मुराद हज़रत अली करम अल्लाह वजहु व हज़रत जाफ़र व अक़ील और हज़रत अ़ब्बासؓ व हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं।
- बनी हाशिम के आज़ाद किये हुए ग़ुलामों को भी नहीं दे सकते तो जो ग़ुलाम उनकी मिल्क में हैं उन्हें देना तो और भी ज़्यादा नाजाइज़ है।
- अपने माँ-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी जिनकी औलाद में यह है उनको फ़ितरा व ज़कात नहीं दे सकते और इसी तरह अपनी औलाद जैसे बेटा-बेटी, पोता-पोती, नवासा-नवासी को भी नहीं दे सकते। सदक़ा-ए-नफ़्ल दे सकते हैं बल्कि देना बेहतर है।
- माँ-बाप मोहताज हों और किसी बहाने से उन्हें देना चाहता है कि किसी फ़क़ीर को दे दे, फिर वह फ़क़ीर उन्हें दे यह मकरूह है। इसी तरह हीला कर के अपनी औलाद को देना भी मकरूह है।
- जो शख़्स मालिके निसाब है उसके ग़ुलाम को भी नहीं दे सकते चाहे ग़ुलाम अपाहिज हो और उसका मालिक खाने को भी नहीं देता हो।
- बदमज़हब को सदक़ा-ए-फ़ित्र व ज़कात देना जाइज़ नहीं।

- जिसे सवाल जाइज़ नहीं उसके सवाल पर देना भी नाजाइज़। देने वाला भी गुनाहगार होगा।
- मुस्तहब यह है कि एक शख़्स को इतना दें कि उस दिन उसे किसी और से सवाल की हाजत न पड़े।

****

रोज़े के फ़ायदे

इस्लाम अमन और हिफ़ाज़त का मज़हब है। यह अपने मानने वालों को इबातदों में बेशुमार फैज़, बरकतें और हिकमतें अता करता है। इस्लामी इबादतों में ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी फ़ायदों के बेशुमार राज़ छिपे हैं। आज माडर्न साइंस की रिसर्च उन छिपे हुए राज़ और हिकमतों को लोगों पर ज़ाहिर कर रही है और पुकार–पुकार कर कह रही हैं कि- ऐ मुसलमानों! तुम्हारे आक़ा मुहम्मदुर्रसूल्लाहﷺ ने सदियों पहले जो अहकाम तुम्हें दिये और ज़िन्दगी गुज़ारने के जो अन्दाज़ तुम्हें सिखाये वह अपने आप में बिल्कुल मुकम्मल (Perfect) हैं इसमें किसी भी तरह की कमी-पेशी मुमकिन नहीं है। जो कोई भी इस तरीक़े पर ज़िन्दगी गुज़ारेगा उसके लिये आख़िरत की नेअमतों के साथ दुनियावी नेअमतें भी बेशुमार हैं।

रोज़ा ज़रूरी है-

क़ुरआन पाक में इरशाद है कि-

"पस तुम में से जो शख़्स रमज़ान को पाये तो उसे चाहिये कि वह ज़रूर रोज़े रखे" (सूरह अलबक़राह,आयत– 180)

रोज़ा गुनाहों को जला देता है

हज़रत अनसؓ की एक रिवायत के मुताबिक़- *''हुज़ूरﷺ ने इरशाद फ़रमाया कि रमज़ान को रमज़ान इसलिये कहते हैं कि यह गुनाहों को जलाकर ख़त्म कर देता है।''*

फ़ुक़हा ने रोज़े में छिपी पाँच हिकमतें बयान की हैं-

1. रोज़े से इन्सान **तक़वा** यानि परहेज़गारी हासिल करता है जो सब्र का मुक़ाम है।
2. **शुक्र का मुक़ाम** हासिल होता है क्योंकि रोज़ा रखना अपने रब की बेशुमार नेअमतों का शुक्र अदा करना भी है।
3. **ईसार** (यानि अपने फ़ायदे से ज़्यादा दूसरे के फ़ायदे का ख़्याल रखना) और **क़ुरबानी** का जज़्बा हासिल होता है।

4. **तज़किया-ए-नफ़्स** यानि नफ़्स की पाकी और सफ़ाई हासिल होती है।
5. एक मुसलमान के लिये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम **अल्लाह की रज़ा** हासिल होती है।

रोज़े के बारे में कुछ माहिरीन (Scholors) के क़ौल-

- जैसे-जैसे मैडिकल साइंस ने तरक़्क़ी हासिल की इससे यह हक़ीक़त साफ़ ज़ाहिर होती गई कि रोज़ा तिब्ब यानि मेडिकल साइंस में एक मोजिज़ा यानि चमत्कार है।

(तुर्क स्कालर डाक्टर हलोक नूर बाक़ी)

- रोज़े से ख़्यालात में बेचैनी नहीं रहती और जज़्बात की तेज़ी ख़त्म हो जाती है, बुराइयाँ और बदियाँ दूर हो जाती हैं।

(डाक्टर माइकल)

- ज़हनी सुकून और दिली इत्मिनान हासिल करने के लिये रोज़ा बेहतरीन चीज़ है।

(डाक्टर समरसेट)

- भूखा रहने का बेहतरीन तरीक़ा रोज़ा है। जिन्हें भूखा रहने की ज़रूरत हो वह इस्लामी तरीक़े से रोज़ा रखें, डाक्टर जिस तरह से भूखा रहने का तरीक़ा बताते हैं वह बिल्कुल ग़लत है।

(डाक्टर ऐमरसन)

सेहत और तंदरुस्ती के लिये रोज़े के फ़ायदे:-

हमारे प्यारे नबी ﷺ का फ़रमान है कि-

"रोज़े रखो तंदरूस्त हो जाओगे"

आजकल की मेडिकल रिसर्च से भी यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि-

- रोज़ा हाज़मे के निज़ाम (Digestive System) को बेहतर बनाता है।
- दिमाग़ को ताक़त देता है। एक रिसर्च के मुताबिक़ रोज़े से Neurotrophic Factor का level बढ़ता है जिससे ज़्यादा Brain cells पैदा होते हैं और दिमाग़ की सलाहियत बेहतर होती है।

- तनाव को कम करता है। रोज़े से Hormone Cortisol में कमी आने की वजह से तनाव कम होता है।
- बुरी आदतों जैसे तम्बाकू नोशी (Smoking) वग़ैरा से छुटकारा हासिल करने के लिये सबसे बेहतर वक़्त रमज़ान का महीना है।
- जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताक़त बढ़ाने के लिये Immune System को बेहतर बनाता है।
- दौराने ख़ून (Blood Circulaion) को बेहतर करता है।
- कौलेस्ट्रोल जो दिल की बीमारी और फ़ालिज की ख़ास वजह है उसे ख़त्म कर देता है।
- Blood Sugar में कमी आती है। रोज़े में ज़रूरी Energy हासिल करने के लिये जिस्म में जमा ग्लूकोज़ टूटने लगता है जिससे Insulin बनने में कमी आ जाती है और Blood Sugar कम होता है।
- मोटापा कम होता है। ग्लूकोज़ Break down की वजह से जब सारा ग्लूकोज़ ख़त्म हो जाता है तो Ketosis का अमल यानि Fats का break Down शुरू हो जाता है और गुर्दे और माँसपेशियों पर इकट्ठी हुई चर्बी टूटने लगती है जिससे Energy हासिल होती है।
- रोज़े से दिल, दिमाग़, जिगर, मेदा, आँतें, और गुर्दों वग़ैरा को आराम मिल जाता है जिससे इनके काम करने की सलाहियत बेहतर होती है।

आक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफ़ेसर मोर पाल्ड के मुताबिक़ वह मेदे के वरम में मुब्तिला थे और किसी इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा था लिहाज़ा उन्होंने रोज़े के फ़ायदों के बारे में सुनकर आज़माने के लिये इस्लामी तरीक़े पर रोज़े रखना शुरू कर दिये और कुछ ही दिनों में उनके वरम में कमी आने लगी और जिस्म पर और भी कुछ फ़ायदेमन्द असरात ज़ाहिर होने लगे। लिहाज़ा उन्होंने रोज़ों को जारी रखा और एक महीने में उनकी तकलीफ़ बिल्कुल दूर हो गई और जिस्म बिल्कुल Normal हो गया।

ज़रा सोचिए! हमारे लिये इससे बढ़कर बदक़िस्मती की बात क्या होगी कि हम सेहत व तन्दरुस्ती हासिल करने के लिये और बीमारियों के इलाज के लिये इधर-उधर भटक रहे हैं, दूसरों के दरो पर धक्के खा रहे हैं लेकिन अपने उस रब के अहकाम पर अमल करके दुनिया व आख़िरत की भलाई हासिल नहीं कर रहे जो हमारा ख़ालिक (बनाने वाला) भी है और मालिक भी। अपने उस प्यारे नबी की प्यारी-प्यारी सुन्नतों पर अमल नहीं कर रहे जिसको अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है जिसकी हर बात रहमत है, हर काम रहमत है, हर सुन्नत रहमत। दूसरे मज़हबों के लोग आप की तालीम से फ़ायदा उठा रहे हैं लेकिन हम महरूम हैं, यह बदक़िस्मती नहीं तो और क्या है?

****

शब-ए-क़द्र

अल्लाह तआला क़ुरआन पाक में इरशाद फ़रमाता है-

إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ۝١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ۝٢ لَيۡلَةُ
ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ۝٣ تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا
بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ ۝٤ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ۝٥

तर्जुमाः बेशक हमने इस (क़ुरआन) को शब-ए-क़द्र में उतारा। और आप क्या समझे शब-ए-क़द्र क्या है। शब-ए-क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते और जिब्रील अपने परवरदिगार के हुक्म से हर काम के लिये उतरते हैं। वह (रात) सलामती है फ़ज्र तुलू होने तक।

शब-ए-क़द्र की फ़ज़ीलत

इस सूरह-ए-मुबारक में अल्लाह तआला ने शब-ए-क़द्र की फ़ज़ीलत बयान फ़रमाई है कि यह ऐसी अज़मत और बुज़ुर्गी वाली रात है कि-

- इस रात में क़ुरआन पाक नाज़िल हुआ।
- यह रात हज़ार महीनों से बेहतर है।
- इस रात में जिब्रील عليه السلام और फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं।
- इस रात में सुबह होने तक बरकतें नाज़िल होती है और इसमें सलामती ही सलामती है।

हुज़ूरे अक़दस ﷺ ने शब-ए-क़द्र की अहमियत बयान करते हुए फ़रमाया-

- *माह-ए-रमज़ान में एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बेहतर है जो इस रात से महरूम रहा सारी ख़ैर से महरूम रहा।*

(सुनन निसाई, मिश्कात)

- *जब शब-ए-क़द्र आती है तो जिब्रील عليه السلام फ़रिश्तों के झुरमुट में ज़मीन पर उतरते हैं और उस शख़्स के लिये दुआ-ए-रहमत करते हैं जो खड़ा या बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा हो।* (मिशकात, शैअबुल ईमान लिल बैहक़ी)
- *हज़रत जिब्रील عليه السلام और फ़रिश्ते उस शब में इबादत करने वालो से मुसाफ़ा करते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है।* (फ़जाइलुल औक़ात लिल बैहक़ी)

शब-ए-क़द्र मिलने की वजह

- इमाम मालिक رحمة الله عليه फ़रमाते हैं कि जब हुज़ूर ﷺ ने पिछली उम्मतों की उम्रों पर तवज्जह फ़रमाई तो उनके मुक़ाबले में अपनी उम्मत की उम्रें बहुत कम पाई, आप ﷺ ने ख़्याल फ़रमाया कि जब पहली उम्मतों के मुक़ाबले इनकी उम्रें कम हैं तो नेकियाँ भी कम होगीं इस पर अल्लाह तआला ने आप को शब-ए-क़द्र अता फ़रमाई जो हज़ार महीनों से बेहतर है। (मूता इमाम मालिक رحمة الله عليه)
- हज़रत मुजाहिद رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि नबी-ए-करीम मुहम्मद ﷺ ने बनी इसराईल के एक नेक शख़्स का ज़िक्र फ़रमाया जिसने राहे ख़ुदा में जिहाद के लिये हज़ार महीनों तक हथियार उठाये रखे। सिहाबा-ए-किराम को इस पर ताज्जुब हुआ तो अल्लाह तआला ने यह सूरह नाज़िल फ़रमाई और एक रात शब-ए-क़द्र की इबादत को उस मुजाहिद के हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर क़रार दिया।
(सुनन अलकुब्रा बैहक़ी, तफ़्सीर इब्ने हरीर)

इस रात को लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं?

इस पाक और बरकत वाली रात को लैलतुल क़द्र कहने की कुछ हिकमते हैं।

- क़द्र का एक मतलब है मर्तबा यानि इस रात की अज़मत, बुज़ुर्गी और आला मर्तबे की वजह से इसका नाम लैलतुल क़द्र पड़ा।

- इस रात में इबादत का मर्तबा बहुत आला है यानि एक रात की इबादत का सवाब हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर है।
- इसमें अज़मत और बुलन्द मर्तबे वाली किताब नाज़िल हुई।
- इस किताब को लाने वाले जिब्रील भी बुलन्द मर्तबे वाले हैं।
- और यह बड़ी शान वाली किताब अल्लाह के महबूब और बहुत ही अज़मत और बुलन्द मर्तबे वाले अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मदﷺ पर नाज़िल हुई।

शब-ए-क़द्र कब होती है:-

इस बारे में आइम्मा-ए-दीन के अलग-अलग क़ौल हैं।

- इमाम-ए-आज़म अबू हनीफ़ाرحمۃ اللہ علیہ के एक क़ौल के मुताबिक़ शब-ए-क़द्र पूरे साल में किसी रात को भी हो सकती है। सिहाबा-ए-किराम में से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊदرضی اللہ عنہ का भी यही क़ौल है।
- इमाम-ए-आज़म अबू हनीफ़ाرحمۃ اللہ علیہ के एक दूसरे क़ौल के मुताबिक़ शब-ए-क़द्र रमज़ान की सत्ताइसवीं (27) शब है।
- इमाम अबू यूसूफ़رحمۃ اللہ علیہ और इमाम मुहम्मदرحمۃ اللہ علیہ के मुताबिक़ शब-ए-क़द्र रमज़ान की किसी भी मुतअय्यन की हुई रात में होती है।
- शाफ़ई उलमा के नज़दीक रमज़ान की इक्कीसवीं (21) शब को होना ज़्यादा मुमकिन है।
- इमाम मालिकرحمۃ اللہ علیہ और इमाम अहमद बिन हम्बलرحمۃ اللہ علیہ के मुताबिक़ यह रमज़ान के आख़िरी अशरे की ताक़ (odd) रातों में होती है। किसी साल किसी रात में और किसी साल किसी दूसरी रात में।

शब-ए-क़द्र रमज़ान के आख़िरी अशरे की ताक़ रातों मे होने के मुताल्लिक़ अहादीसः-

हुज़ूर ﷺ ने फ़रमाया कि-

- *शब-ए-क़द्र को रमज़ान के आख़िरी अशरे की ताक़ रातों में ढूँढो।*
  (बुख़ारी व मिश्कात में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़िअल्लाह अन्हा से रिवायत)
- *शब-ए-क़द्र रमज़ान के आख़िरी अशरे की ताक़ रातों यानि 21, 23, 25, 27, 29 वीं रात में है जो सवाब की नीयत से इस रात को इबादत करता है अल्लाह तआला उसके पिछले गुनाह माफ़ फ़रमा देता है। इसी रात की निशानियों में से यह है कि यह रात खिली हुई और चमकदार होती है, बिल्कुल साफ़ जैसे नूर की कसरत से चाँद खिला होता है। न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी बल्कि नरम-गरम। इस रात में आसमान के सितारे शैतानों को नहीं मारे जाते। इसकी निशानियों में से यह भी है कि इस दिन सूरज बग़ैर शुआ के निकलता है, बिल्कुल एकसा टिकिया की तरह जैसा कि चौहदवीं का चाँद, क्योंकि शैतान के लिये रवा नहीं कि वह इस दिन सूरज के साथ निकले।* (मुसनद अहमद, मज्माउज़्ज़वाइद)

इस्लामी भाइयों और बहनों ऊपर बयान किये गये फ़ज़ाइल से यह बात बिल्कुल साफ़ हो गई है कि इस रात बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल होती हैं। वैसे तो रमज़ान का पूरा महीना ही रहमतों और बरकतों वाला है और इस महीने में ज़्यादा से इबादत करके अपने रब की रज़ा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिये लेकिन इस ख़ास रात को तलाश करने के लिये आख़िरी अशरे की रातों में ख़ूब दिल लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके रज़ा-ए-इलाही हासिल करें।

****

दुआ की गुज़ारिश

आप सभी हज़रात से अल-इहया के सभी अरकान के लिये और उन सभी लोगों के लिये ख़ुसूसी दुआओं की गुज़ारिश करते हैं जिन्होंने इस किताब को आप तक पहुँचाने के लिये इसे तैयार करने में, इसकी इस्लाह और तसीह करने में, छपवाने में और तक़सीम करवाने में हिस्सा लिया है।

हम भी उस पाक परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं कि वह हमारी इस छोटी सी कोशिश को क़ुबूल फ़रमाये और हम सभी को और इसके पढ़ने वालों पर अपनी ख़ास नेअमतें नाज़िल फ़रमाये। आमीन!

****

रमज़ान की दुआएं

❖ **रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है इसमें यह दुआ पढ़ते रहें।**

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط

******

❖ **रमज़ान का दूसरा अशरा बख़्शिश का है इसमें यह दुआ पढ़ते रहें।**

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

******

❖ **रमज़ान का तीसरा अशरा निजात का है इसमें यह दुआ पढ़ते रहें।**

اَللّٰهُمَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ

مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ ط

******

❖ **रोज़े की नीयत फ़ज्र से पहले करें तो -**

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ هٰذَا

******

❖ **रोज़े की नीयत फ़ज्र के बाद करें तो -**

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ هٰذَا الْيَوْمَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ

******

❖ **इफ़्तार के वक़्त की दुआ**

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ